

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER  
MEERUT DIVISION, MEERUT

310

Ref:-....11.22./NGT EA No-20/19/2021

Dated...10-01-2022

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in)&[ngt.filling@gmail.com](mailto:ngt.filling@gmail.com)

**Sub: Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 25-10-2021 in matter of E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors.**

Sir,

With reference to the above mentioned subject, Status report in compliance of order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 25-10-2021 in E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

**Enclosure:As above.**

Yours Sincerely

  
(Surendra Singh)  
Commissioner  
Meerut Division,  
Meerut

**Copy to:**

- i. District Magistrate, Ghaziabad.
- ii. Shri Amit Tiwari, Standing Council, Uttar Pradesh, NGT, New Delhi for perusal and necessary action.

  
(Surendra Singh)  
Commissioner  
Meerut Division,  
Meerut

**Status Report in Execution Application No. 20/2019 in O. A. No. 308/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Applicant Versus Divisional Commissioner Meerut Division & Ors.**

**1. Brief Background**

Hon'ble Tribunal has passed following order on dated 25.10.2021: -

*".....5. We have considered the status projected in the above report and find the action taken to be highly inadequate. The matter is not of adversarial nature and is taken up in the spirit of basic needs of the citizens which are lacking. We have interacted with the officers present who are senior enough in the hierarchy of the administration and are competent enough to remedy the situation. What is required is realistic approach and concern to tackle the problem, instead of shifting the blame to other authorities. The traffic management, waste management and action against encroachers needs to be realistic and not mere show of compliance. Stringent steps are required for executing the Environment Management Plan, including protection of the storm water drains and preventing unauthorized parking. This may require a special task force comprising of responsible officers of proven ability and high-level monitoring atleast once in a week, if not more frequent initially. Monitoring may include, among other indicators, improvement in air quality and reduction in noise.*

*6. On interaction, we find the attitude of the learned Commissioner to be very positive to the above suggestions. We hope with his intervention, situation will improve. To enable further effective measures to be taken, the proceedings are deferred for about a month."*

**2. Action taken by Divisional Commissioner, Meerut and District Magistrate Ghaziabad**

In compliance of Hon'ble NGT order dated 25.10.2021, Divisional Commissioner Meerut Division, Meerut vide letter dated 03.11.2021 constituted a task force comprising following officials of concerning departments for regular monitoring and action in Kaushambi area:

1. Nominated officer (Additional District Magistrate level) by District Magistrate Ghaziabad
2. Nominated officer (Additional Municipal Commissioner) by Municipal Commissioner Ghaziabad
3. Nominated officer (Superintendent of Police) by Senior Superintendent of Police
4. Nominated officer by Regional Transport Officer
5. Nominated officer by Regional Manager, U.P. State Road Transport Corporation, Ghaziabad
6. Nominated officer by Regional Manager, U.P. State Industrial Development Authority Ghaziabad
7. Nominated officer by Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Above task force was directed to do required action regarding implementation of solid waste management, pressure horn, illegal parking, plying of autos /tempos and implementation of Environmental Management Plan. It was directed to send daily progress report to Divisional Commissioner Meerut through Google Sheet. A copy of above said letter is enclosed as **Annexure A-1**.

Accordingly, all concerning departments have submitted daily progress report on Google Sheet. Detailed action taken report is as follows:

<b>Daily Status of Action Taken in E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 Kaushambi</b>								
<b>Apartments Residents Welfare Association (KARWA)</b>								
<b>Vs. Divisional Commissioner Meerut Division &amp;Ors</b>								
<b>Cumulative Action taken report on the basis of daily progress report for since 06.11.2021</b>								
S. No.	Department	Type of violation	Total Nos. of inspections	Total numbers of Defaulters	Nos. of Notice served	Fine imposed (in Rupees)	No. of FIRs	Seizers
1-	Traffic Police	Vehicle Pollution PUC	6962	1200	1200	1,17,20,000	0	136
2-		Vehicle Fitness	838	421	421	0	NA	173
3-		Unauthorized Parking	12186	8496	8496	42,48,000	0	1
4-		Wrong side	7907	4529	4529	90,58,000	0	14
5-		Unauthorized Entry	333	225	225	4,28,80,000	0	0
6-		Visible Emission	382	182	182	0	0	182
7-	Transport department	Vehicle Pollution PUC	2540	504	0	50,40,000	0	247
8-		Vehicle Fitness	1620	539	0	26,95,000	0	304
9-		Unauthorized Parking	3	3	0	1,500	0	0
10-		Wrong side	8	8	0	2,400	0	0
11-		Unauthorized Entry	0	0	0	0	0	0

12-		Visible Emission	0	0	0	0	0	0
13-	<b>Roadways</b>	Pressure Horn	2039	260	0	2,60,000	0	0
14-		Encroachments	111	82	0	0	0	0
15-		Solid Waste					0	0
		Dumping/ Burning	93	1	1	2000		
16-	<b>Nagar Nigam</b>	Mechanical						
		Sweeping					0	0
		Kaushambi						
		Schedule	63	0	0	0		
17-		Sprinkling					0	0
		Schedule	63	0	0	0		

As evident from above figures, Traffic police Ghaziabad has seized 506 vehicles and imposed fine of Rs.6.79 Crores for violation of various traffic rules which have an impact on air pollution as well. Likewise Transport Department, Govt. of UP has come down heavily on violators and imposed fine of Rs.77.38 lakhs and seized 551 vehicles. Also, installation and use of pressure horn by buses plying in the area is another major area of concern, UPSRTC has identified 260 such defaulters and imposed a penalty of Rs. 2,60,000/- on them. Besides this, Uttar Pradesh Pollution Control Board has also taken action against violations pertaining to C&D Waste, Solid waste burning and industrial emission in close vicinity of Kaushambhi area. Environmental Compensation of around 53.75 lakhs has been imposed against industrial units and compensation of Rs. 79.00 lakhs has been recommended for other sources of air pollution like C&D Waste handling/storage, road dust and waste dumping. Thus all concerned departments are actively and sincerely indulged in implementation of Hon'ble Tribunal's order.

Further, in compliance of Hon'ble Tribunal's orders, noise and ambient air monitoring has been done in Kaushambi region at three locations in time span from 13.11.2021 to 17.11.2021, from 21.11.2021 to 23.11.2021 and from 29.12.2021 to 31.12.2021 by Regional Laboratory, UPPCB, Ghaziabad. Reports are enclosed as **Annexure A2**.

**AMBIENT NOISE MONITORING REPORT**

S. No.	Location	Observed value		
		Date	Day	Night
1	Police Chowki, Kaushambi	15.11.2021	67.7	62.5
		16.11.2021	71.9	64.7
		17.11.2021	71.8	62.7
		21.11.2021	69.9	58.9
		22.11.2021	71.9	63.8
		23.11.2021	71.7	64.2
		29.12.2021	66.1	52.4
		30.12.2021	70.3	54.9
		31.12.2021	65.3	53.5
2	Meenakshi Hospital Kaushambi	15.11.2021	70.9	59.3
		16.11.2021	70.6	62.4
		17.11.2021	69.8	58.2
		21.11.2021	70.6	59.5
		22.11.2021	71.0	60.8
		23.11.2021	76.5	58.5
		29.12.2021	69.8	54.2
		30.12.2021	62.9	55.8
		31.12.2021	67.4	56.1
3	Panchmani Apartment, Kaushambi	15.11.2021	64.4	59.1
		16.11.2021	67.8	58.9
		17.11.2021	67.5	57.4
		21.11.2021	72.1	57.5
		22.11.2021	68.4	56.2
		23.11.2021	71.2	58.3
		29.12.2021	63.5	55.3
		30.12.2021	67.3	56.2
		31.12.2021	66.5	54.9

Standard of Noise(dBA)		Day	Night
1.	Residential Zone	55	45
2.	Commercial Zone	65	55
3.	Silent Zone	50	40
4.	Industrial Zone	75	70

**AMBIENT AIR MONITORING REPORT**

S. No.	Location	All values are in $\mu\text{g}/\text{m}^3$					Weather Condition
		Date	PM <sub>10</sub> (Standard Value-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM 2.5 (Standard Value-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
1	Police Chowki, Kaushambi	15.11.2021	372.25	225.20	12.0	65.0	Clear
		16.11.2021	407.87	241.05	13.0	70.0	Clear
		17.11.2021	394.53	202.41	08.0	60.0	Clear
		21.11.2021	458.80	138.85	17.0	60.0	Clear
		22.11.2021	442.63	92.0	21.0	75.0	Clear
		23.11.2021	420.0	133.87	18.0	78.0	Clear
		29.12.2021	320.07	169.15	18.0	46.0	Clear
		30.12.2021	428.12	170.08	16.0	48.0	Clear
		31.12.2021	462.30	205.10	12.0	53.0	Clear
2	Meenakshi Hospital Kaushambi	15.11.2021	485.36	176.26	14.0	68.0	Clear
		16.11.2021	560.13	151.72	16.0	79.0	Clear
		17.11.2021	589.37	169.56	12.0	63.0	Clear
		21.11.2021	470.41	211.35	19.0	63.0	Clear
		22.11.2021	531.02	150.73	20.0	71.0	Clear
		23.11.2021	518.54	127.33	16.0	76.0	Clear
		29.12.2021	476.48	173.48	20.0	51.0	Clear
		30.12.2021	493.20	186.22	14.0	55.0	Clear
		31.12.2021	510.35	215.37	13.0	60.0	Clear
3	Panchmani Apartment, Kaushambi	15.11.2021	387.29	119.81	10.0	58.0	Clear
		16.11.2021	412.15	197.93	11.0	62.0	Clear
		17.11.2021	565.81	202.82	10.0	74.0	Clear
		21.11.2021	406.43	185.28	18.0	70.0	Clear
		22.11.2021	389.65	119.31	15.0	68.0	Clear
		23.11.2021	438.76	160.02	16.0	73.0	Clear
		29.12.2021	295.16	119.32	15.0	42.0	Clear
		30.12.2021	326.10	155.57	13.0	40.0	Clear
		31.12.2021	409.79	163.06	11.0	50.0	Clear

From above data, it is evident that noise as well as ambient air quality has shown marginal improvement in month of December. It may be attributed to factors like enforcement as well as favourable meteorological conditions.

Compliance status of Environment Action and Management Plan for Kaushambi is enclosed an Annexure A3.

Besides above-mentioned details Police department Ghaziabad is also taking regular action taken against violators in Kaushambi area as well as entire district. Details of same for year 2021 under heads of no parking, wrong side, noise/ air pollution, by crane and seized vehicles is as follows.

Detail of action taken regarding traffic rules from dated 01.01.2021 to 26.11.2021 in compliance of Hon'ble NGT orders					
	No parking	Wrong side	Noise/Air pollution	By crane	Seized vehicles
<b>In Ghaziabad Region</b>	50,427	17,068	8,317	7,072	3,526
<b>In Kaushambi area</b>	18,692	4,365	1,613	3,199	832

Divisional Commissioner Meerut also visited the Kaushambi area on dated 01.11.2021 with District Magistrate, Ghaziabad, Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad and SP, Traffic, Ghaziabad. During visit, directions have been given to concerning departments for effective implementation of Traffic Management Plan. A letter with strict directions was issued by Divisional Commissioner Meerut to District Magistrate Ghaziabad, Senior Superintendent of Police Ghaziabad and Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad for furnishing action taken report/ present status regarding effective implementation of prepared action plan and short term/long term measures decided in said matter, copy enclosed as **Annexure A4**. Status of compliance submitted by District Magistrate, Ghaziabad, Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad and Senior Superintendent of Police is annexed as **Annexure A5 Annexure A6 and Annexure A7 respectively**.

Apart from this, in view of survey conducted on dated 06.04.2021 by Joint Team comprising officials of Ghaziabad and Delhi and report submitted for implementation of action required by Delhi Police on following 04 points, A letter has been sent to Police Commissioner, Delhi Police Head Quarter by Divisional Commissioner Meerut vide letter dated 22.11.2021:

- a. To shift Delhi Police booth 10 feet ahead (towards Delhi) situated on entrance road from Kaushambi via EDM mall to Delhi.
- b. To shift Delhi Police booth on left side and prepaid booth near petrol pump, which are situated on entrance road from Kaushambi to Anand Vihar creating traffic congestion and pollution in nearby area.
- c. To remove jersey barriers and encroachment on entrance road from Anand Vihar to Maharajpur,
- d. To remove cement barriers on both side (Kaushambi to Anand Vihar and Anand Vihar to Kaushambi).

A copy of said letter is being enclosed as **Annexure A8**.

**3. Joint visit of Kaushambi area by Divisional Commissioner Meerut with officials of Ghaziabad district of U.P. and Delhi State:**

Further, joint visit of kaushambi area was carried out by Divisional Commissioner Meerut with officials of U.P. Government and Delhi Government on 16.12.2021. During joint visit, all traffic congestion points were inspected by the team and after that a detailed meeting was held at Regional Office, U.P.S.R.T.C. Ghaziabad in presence of Delhi state officials. Meeting was attended by Police officials and concerned Municipal corporation of Delhi along with concerned department officials of UP Government. Minutes of meeting are enclosed as **Annexure A9**.

After detailed discussion in the meeting, it was agreed to take following actions jointly:

- i. **EDMC toll booth to be shifted on left side-** EDMC will shift toll booth will on left side after road widening work is over by Ghaziabad Nagar Nigam.

- ii. **Delhi police booth to be shifted from present location-** Delhi police booth will be removed. Ghaziabad Nagar Nigam was directed to remove C & D waste/ garbage at site.
- iii. **To remove tree causing traffic congestion-** It was found necessary to remove a banyan tree situated on left side at T-point from kaushambi to Anand vihar. Ownership of tree could not be ascertained; it was decided that tree will be removed by concerning municipal corporation after getting due permission from Forest Department and ensuring plantation of requisite plants as per law.
- iv. **To remove iron pole/ barriers-** Nagar Nigam Ghaziabad was directed to remove old pole/ barrier situated left side on road from Kaushambi to Delhi. Barrier situated on right side will be removed after confirmation of ownership by District Magistrate Ghaziabad/ EDMC.
- v. **Road to be constructed on encroachment free lane-** It was decided that road will be constructed by Nagar Nigam Ghaziabad/ CPWD, Delhi after getting lane free after removing all encroachments.
- vi. **To set street vendors systematically-** It was directed to SSP Ghaziabad and Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure shifting of street vendors by earmarking vending zone at suitable place in vicinity.
- vii. **To repair escalator of foot over bridge-** Escalator of foot over bridge was found not operational and was expected to be repaired by EDMC/CPWD.
- viii. **To install lift on FOB-** Re engineering of FOB was observed and it is expected to install lift for FOB by EDMC/CPWD.
- ix. **To construct new FOB-** In view of heavy movement of pedestrians on both side of road during festivals, it was requested to CPWD to construct 01 additional FOB

at site. It was expected from DCP (Traffic), Delhi and EDMC to take necessary action in this regard.

- x. **To stop unregistered /illegal buses** – It was directed to stop unregistered /illegal buses through strict enforcement by regional manager, UPSRTC, Ghaziabad, RTO, Ghaziabad and Delhi police.
- xi. **To arrange buses systematically outside bus station** – Regional Manager, UPSRTC, Ghaziabad was asked to ensure that buses should not stand outside bus station haphazardly.
- xii. **To nominate nodal officer-** EDMC and Delhi police officials were requested to nominate nodal officers for further action as decided in joint visit/meeting.
- xiii. **To share information about traffic diversion between states-** S.P. Traffic, Ghaziabad requested that information of traffic diversion should be shared mutually between Delhi police/ traffic department and U.P. police.
- xiv. **Interstate coordination-** It was expected that effective coordination should be ensured for achieving sustainable solution of said problems/issues at all level of Police and Municipal administration of both States.

Subsequently, a letter was also written by Commissioner, Meerut Division to Police Commissioner and Municipal Commissioner, EDMC Delhi to ensure compliance of activities to be undertaken in Delhi region as decided during joint visit on 16.12.2021. In compliance of same, following activities have been completed by departments of UP Government.

1. Municipal Corporation, Ghaziabad has invited tenders for six activities for redressal of issues pertaining to smoothening of traffic in Kaushambhi region, details of same are as enlisted hereunder.

S.No.	Activity	Timeline
1	Widening of Dr. Burman Road in front of Yashoda Hospital and Kaushambi Metro Station	Work order issued. Work proposed to be completed within 03 Months
2	Widening of Dr. Burman Road in front of Kaushambi Depot and Fair Export (India) Pvt. Ltd.	Work order issued. Work proposed to be completed within 03 Months
3	Construction of tempo/auto stand on Kaushambi side behind Delhi Police Booth	Tender invited again. Technical bid already opened.
4	Construction of U-turn in front of Yashoda Hospital, Kaushambi metro station and Kaushambi depot for traffic management.	Tender invited again. Technical bid already opened.
5	Construction of taxi stand adjacent to Kaushambi depot on Saur Urja Marg	Tender invited again. Technical bid already opened.
6	Construction of speed breakers before low height barriers near Wave Mall circle and Saur Urja Marg cut	Invited

2. Municipal Corporation, Ghaziabad has removed all C&D Waste left on site after shifting of Delhi Police Booth
3. Letter has been sent to Forest Department, Ghaziabad on 23.12.2021 for removal of banyan and other trees for widening of road and providing free passage to vehicles.
4. Iron poles have been removed by Municipal Corporation, Ghaziabad on 16.12.2021
5. Tenders invited for widening of roads on area encroached areas.
6. RM, Roadways has carried out enforcement drive and ensured that movement of unauthorized buses is curtailed in the area.

As far as compliance of actions pertaining to Government of NCT of Delhi region is concerned, presently only shifting of traffic police booth has been done and progress and action taken report with regards to other points is awaited. Divisional Commissioner Meerut vide letter dated 08.01.2022 has sent a letter to Delhi officials for providing compliance status on concerned points, copy of same is annexed as **Annexure A10**.

Thus, as detailed above, regular steps are being taken in true spirit for abatement of pollution due to traffic, solid waste as well as encroachment in the area and same shall continue. In order to achieve desired results, any further directions of Hon'ble Tribunal shall be complied with.

The report is being submitted for kind perusal and necessary action please.




(Shiv Pujan Yadav)  
Additional Municipal Commissioner  
Ghaziabad



(Ramanand Kushwaha)  
S.P. Traffic  
Ghaziabad



(A K Chaudhary)  
Executive Engineer  
Ghaziabad Development Authority  
Ghaziabad



(Utsav Sharma)  
Regional Officer  
U.P.P.C.B. Ghaziabad



(A. K. Singh)  
Regional Manager  
U.P.S.R.T.C. Ghaziabad



(Manoj Kumar Mishra)  
ARTO (E- II)  
Ghaziabad

DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD



## कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दूरभाष संख्या-0121-2641377, 2657539, फ़ैक्स-2640411, ईमेल commmee@nic.in

पत्र संख्या: 1005/पी०ए०-2021

दिनांक: 03 नवम्बर, 2021

## - कार्यालय ज्ञाप -

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली द्वारा E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में दिनांक 25-10-2021 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-5 में निम्नवत् आदेश दिये गये हैं-

"We have considered the status projected in the above report and find the action taken to be highly inadequate. The matter is not of adversarial nature and is taken up in the spirit of basic needs of the citizens which are lacking. We have interacted with the officers present who are senior enough in the hierarchy of the administration and are competent enough to remedy the situation. What is required is realistic approach and concern to tackle the problem, instead of shifting the blame to other authorities. The traffic management, waste management and action against encroachers needs to be realistic and not mere show of compliance. Stringent steps are required for executing the Environment Management Plan, including protection of the storm water drains and preventing unauthorized parking. This may require a special task force comprising of responsible officers of proven ability and high-level monitoring atleast once in a week, if not more frequent initially. Monitoring may include, among other indicators, improvement in air quality and reduction in noise."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली के उक्त आदेश के अनुपालन में कौशाम्बी क्षेत्र में नियमित अनुश्रवण व कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन किया जाता है:-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी (अपर जिलाधिकारी स्तर)              | - सदस्य      |
| 2. नगर आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी (अपर नगर आयुक्त)                   | - सदस्य      |
| 3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गा०बाद द्वारा नामित अधिकारी (पुलिस अधीक्षक)             | - सदस्य      |
| 4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी                       | - सदस्य      |
| 5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आर०टी०सी०, गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी        | - सदस्य      |
| 6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०सी०डा०, गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी              | - सदस्य      |
| 7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गा०बाद द्वारा नामित अधिकारी | - सदस्य सचिव |

सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों द्वारा अपने विभाग से सदस्य हेतु किसी योग्य अधिकारी को नामित कर दिया जाये, जो अपने विभाग की ओर से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली के प्रश्नगत आदेशों के अनुपालन की कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त टास्क फोर्स द्वारा कौशाम्बी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, प्रेशर हॉर्न, अवैध पार्किंग एवं प्लेईंग ऑफ ऑटो/टैम्पो अतिक्रमण एवं पर्यावरण मैनेजमेन्ट प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निरंतर वांछित कार्यवाही की जायेगी और दैनिक प्रगति आख्या Google Sheet पर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(सुरेन्द्र सिंह)

आयुक्त,

मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-

1. उपरोक्तानुसार अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त (द्वितीय), मेरठ मण्डल, मेरठ को अग्रेत्तर अनुश्रवण हेतु।

(सुरेन्द्र सिंह)

आयुक्त,

मेरठ मण्डल, मेरठ।



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**REGIONAL LABORATORY**

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012

**AMBIENT NOISE MONITORING REPORT**

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.  
 Date of Monitoring : 29.12.2021 to 31.12.2021  
 Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	Observed value		
		Date	Day	Night
1	Police Chowki	29.12.2021	66.1	52.4
		30.12.2021	70.3	54.9
		31.12.2021	65.3	53.5
2	Meenakshi Hospital	29.12.2021	69.8	54.2
		30.12.2021	62.9	55.8
		31.12.2021	67.4	56.1
3	Panchmani Aprtment	29.12.2021	63.5	55.3
		30.12.2021	67.3	56.2
		31.12.2021	66.5	54.9

Standard of Noise(dBA)	Day	Night
1 Residential Zone	55	45
2 Commercial Zone	65	55
6 Silent Zone	50	40
4 Industrial Zone	75	70

*[Signature]*  
 Scientific Assistant

*[Signature]*  
 Scientific Officer

*[Signature]*  
 Regional Officer



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**REGIONAL LABORATORY**

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012

**AMBIENT NOISE MONITORING REPORT**

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.  
 Date of Monitoring : 29.12.2021 to 31.12.2021  
 Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	Observed value		
		Date	Day	Night
1	Police Chowki	29.12.2021	66.1	52.4
		30.12.2021	70.3	54.9
		31.12.2021	65.3	53.5
2	Meenakshi Hospital	29.12.2021	69.8	54.2
		30.12.2021	62.9	55.8
		31.12.2021	67.4	56.1
3	Panchmani Aprtment	29.12.2021	63.5	55.3
		30.12.2021	67.3	56.2
		31.12.2021	66.5	54.9

Standard of Noise(dBA)	Day	Night
1 Residential Zone	55	45
2 Commercial Zone	65	55
6 Silent Zone	50	40
4 Industrial Zone	75	70

*[Signature]*  
Scientific Assistant

*[Signature]*  
Scientific Officer

*[Signature]*  
Regional Officer



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

### REGIONAL LABORATORY

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012

### AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.  
 Date of Monitoring : 29.12.2021 to 31.12.2021  
 Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	All values are in $\mu\text{g}/\text{m}^3$					Weather Condition
		Date	PM <sub>10</sub> (Standard Value-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM 2.5 (Standard Value-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
1	Police Chowki	29.12.2021	320.07	169.15	18.0	46.0	Clear
		30.12.2021	428.12	170.08	16.0	48.0	Clear
		31.12.2021	462.30	205.10	12.0	53.0	Clear
2	Meenakshi Hospital	29.12.2021	476.48	173.48	20.0	51.0	Clear
		30.12.2021	493.20	186.22	14.0	55.0	Clear
		31.12.2021	510.35	215.37	13.0	60.0	Clear
3	Panchmani Aptment	29.12.2021	295.16	119.32	15.0	42.0	Clear
		30.12.2021	326.10	155.57	13.0	40.0	Clear
		31.12.2021	409.79	163.06	11.0	50.0	Clear

Remark-

*[Signature]*  
26/10/22  
Scientific Assistant

*[Signature]*  
Scientific Officer

*[Signature]*  
Regional Officer


**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**
**REGIONAL LABORATORY**

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012

**AMBIENT AIR MONITORING REPORT**

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.  
 Date of Monitoring : 29.12.2021 to 31.12.2021  
 Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	All values are in $\mu\text{g}/\text{m}^3$					Weather Condition
		Date	PM <sub>10</sub> (Standard Value-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM 2.5 (Standard Value-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
1	Police Chowki	29.12.2021	320.07	169.15	18.0	46.0	Clear
		30.12.2021	428.12	170.08	16.0	48.0	Clear
		31.12.2021	462.30	205.10	12.0	53.0	Clear
2	Meenakshi Hospital	29.12.2021	476.48	173.48	20.0	51.0	Clear
		30.12.2021	493.20	186.22	14.0	55.0	Clear
		31.12.2021	510.35	215.37	13.0	60.0	Clear
3	Panchmani Aptment	29.12.2021	295.16	119.32	15.0	42.0	Clear
		30.12.2021	326.10	155.57	13.0	40.0	Clear
		31.12.2021	409.79	163.06	11.0	50.0	Clear

Remark-

  
 Scientific Assistant

  
 Scientific Officer

  
 Regional Officer



# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

## REGIONAL LABORATORY

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012

### AMBIENT AIR MONITORING REPORT

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.

Date of Monitoring : 21.11.2021 to 23.11.2021

Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	All values are in $\mu\text{g}/\text{m}^3$					Weather Condition
		Date	PM <sub>10</sub> (Standard Value-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM 2.5 (Standard Value-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
1	Police Chowki	21.11.2021	458.80	158.85	17.0	60.0	Clear
		22.11.2021	329.63	115.00	21.0	75.0	Clear
		23.11.2021	420.0	134.87	18.0	78.0	Clear
2	Meenakshi Hospital	21.11.2021	470.41	181.35	19.0	63.0	Clear
		22.11.2021	352.02	120.73	20.0	71.0	Clear
		23.11.2021	432.0	144.33	16.0	76.0	Clear
3	Panchmani Aptment	21.11.2021	406.43	145.28	18.0	70.0	Clear
		22.11.2021	338.65	109.31	15.0	68.0	Clear
		23.11.2021	398.76	127.10	16.0	73.0	Clear

Remark-

  
27/11/21  
Scientific Assistant

  
Scientific Officer

  
Regional Officer



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**REGIONAL LABORATORY**

**INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012**

**AMBIENT NOISE MONITORING REPORT**

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.

Date of Monitoring : 21.11.2021 to 23.11.2021

Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	Observed value		
		Date	Day	Night
1	Police Chowki	21.11.2021	69.9	58.9
		22.11.2021	71.9	63.8
		23.11.2021	71.7	64.2
2	Meenakshi Hospital	21.11.2021	70.6	59.5
		22.11.2021	71.0	60.8
		23.11.2021	76.5	58.5
3	Panchmani Aprtment	21.11.2021	72.1	57.5
		22.11.2021	68.4	56.2
		23.11.2021	71.2	58.3

Standard of Noise(dBA)	Day	Night
1 Residential Zone	55	45
2 Commercial Zone	65	55
6 Silent Zone	50	40
4 Industrial Zone	75	70

  
Scientific Assistant

  
Scientific Officer

  
Regional Officer



# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

## REGIONAL LABORATORY

INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012

### AMBIENT NOISE MONITORING REPORT

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.

Date of Monitoring : 15.11.2021 to 17.11.2021

Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	Observed value		
		Date	Day	Night
1	Police Chowki	15.11.2021	67.7	62.5
		16.11.2021	71.9	64.7
		17.11.2021	71.8	62.7
2	Meenakshi Hospital	15.11.2021	70.9	59.3
		16.11.2021	70.6	62.4
		17.11.2021	69.8	58.2
3	Panchmani Aptment	15.11.2021	64.4	59.1
		16.11.2021	67.8	58.9
		17.11.2021	67.5	57.4

Standard of Noise(dBA)		Day	Night
1	Residential Zone	55	45
2	Commercial Zone	65	55
6	Silent Zone	50	40
4	Industrial Zone	75	70

Scientific Assistant

Scientific Officer

Regional Officer



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**REGIONAL LABORATORY**

**INS-2, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012**

**AMBIENT AIR MONITORING REPORT**

Name of Monitoring Site : Kaushambi, Ghaziabad.

Date of Monitoring : 15.11.2021 to 17.11.2021

Monitoring By : Sri Shubash Chandra, S.A, Sri D.D. Verma, L.A.

S.No	Location	All values are in $\mu\text{g}/\text{m}^3$					Weather Condition
		Date	PM <sub>10</sub> (Standard Value-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM 2.5 (Standard Value-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> (Standard Value-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
1	Police Chowki	15.11.2021	372.25	180.20	12.0	65.0	Clear
		16.11.2021	427.87	220.05	13.0	70.0	Clear
		17.11.2021	464.53	202.41	08.0	60.0	Clear
2	Meenakshi Hospital	15.11.2021	425.36	186.26	14.0	68.0	Clear
		16.11.2021	480.13	236.72	16.0	79.0	Clear
		17.11.2021	490.37	210.56	12.0	63.0	Clear
3	Panchmani Aptment	15.11.2021	367.29	119.81	10.0	58.0	Clear
		16.11.2021	412.15	197.93	11.0	62.0	Clear
		17.11.2021	452.81	178.82	10.0	74.0	Clear

Remark-

  
Scientific Assistant

  
Scientific Officer

  
Regional Officer

**Environment Action And Management Plan for Kaushambi  
Development Area, NCR, Ghaziabad**

**Table 5-1: Mitigation and Remedial Measures in Residential Areas**

LOCATION	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
<b>A. POLLUTION-AIR &amp; NOISE</b>				
<b>(i) Road Condition and width</b>				
<b>RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR &amp; OTHERS)</b>	The road condition is good in this zone. The carriageway width is 15-20m in the zone but due to encroachment by on street parking and eateries the width reduced to 5.5-7.5m.	Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam	The attachment drive is run by Ghaziabad Municipal Corporation from time to time which notices and drives are made to the encroachers
<b>RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI&amp; OTHERS)</b>	The road condition is good in this zone. The carriageway width is 18-20m in the zone but due to encroachment by on street parking and eateries the width reduced to 7-9m.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly.	Nagar Nigam	Already Completed
<b>URBAN VILLAGE- BHUAPUR</b>	The condition and geometry of internal roads is very poor. Wide roads in the area have been reduced to narrow lanes because of encroachments by the rick pullers/scrap dealers. Wide roads in the area	The roads shall be constructed with pavements. Spaces for autos, parking for 4 wheelers and also creating spaces for bikes and cycles such that it does not disturb movement on roads and flow of pedestrians. Any ongoing construction should not conquer the space of the road and banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam	Construction of roads have been planned accordingly
<b>(ii) Traffic Congestion</b>				
<b>RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR &amp; OTHERS)</b>	Traffic jams are frequent because of the lack of space on the road due to encroachment	Potential improvements may include the widening of entrance and exit points, and providing bays (exclusive lanes) for turning movements. In order to encourage use of public transport for long distance travel, use of Railways/ Interstate Bus services, etc. and their integration with local intra-city public transport systems i.e. Metro, Buses etc. Intermediate Para Transit (IPT) and non-motorized traffic (NMT) needs to be made fast, convenient and seamless.	Nagar Nigam  Transport Deptt.	Widening of entrance and exit points have been identified and ordered to the concern department for implementing accordingly  Total vehicle inspection of PUCs in Kaushambi Area - 5074, Total Challan-355, Total Unauthorized Parking Inspection-9857, No. of defaulters found-2720, No. of Challans-2720, Total Fine imposed- Rs. 1,19,000/-.
<b>RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI&amp; OTHERS)</b>	Traffic jams are frequent because of the lack of space on the roads and pavement. Footpaths due to encroachment of on-street eateries	Banning the expansion of shops on the roads and pavement. Vehicles plying on street parking has to be removed or they can be relocated to the nearby parking lots or open space.	Nagar Nigam	Total No. of inspections of Encroachments-21, Total No. of defaulters- 10, No. of notice served-03, Fine Imposed- Rs. 5500/-.
<b>URBAN VILLAGE- BHUAPUR</b>	Due to lot of encroachment on roads, covered drains, unauthorized parking congestion in traffic occurs in this village.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. It is also necessary to have level difference of about 0.35-0.50m from the level of road.	Nagar Nigam	

			Vehicles plying on street parking has to be removed or they can be relocated to the nearby parking lots or open spaces.	Nagar Nigam	
			Up-gradation of existing sewerage system and laying of new sewerage system in a sustainable manner will be required for this village.	Nagar Nigam	
<b>iii) UPSRTC Buses</b>					
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>	
Kausambi Bus Depot	Presently Diesel Buses are also plying at the depot.	UPSRTC should strengthen the network of CNG buses and prioritize these buses in the region. Also, no pressure horns should be used by these buses.	UPSRTC	Pressure Horn Inspection-614, No. of Defaulters-230, Fine Imposed- Rs. 2,30,000/-	
<b>(iv) Industrial Pollution</b>					
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>	
Sahibabad Industrial Area opposite Kausambi	Adjoining Sahibabad area is an old industrial area with number of fuel based unit.	Existing units should operate with approved APCS only. No new Solid fuel based unit should be permitted in the area. Existing units should prepare and submit a plan for switching to PNG.	UPPCB	Inspections were done on 09.11.2021 & 11.11.2021 in Kausambi and Sahibabad Industrial Area (Site-4) by UPPCB, Ghaziabad. During the inspection Municipal solid waste and Construction waste material was found dumped at various places in Sahibabad. The roads were found to be broken and dust emission were found on the roads. Also the work of Mechanical sweeping & water sprinkling was not found at Sahibabad. In view of these reasons a letter dated 11.11.2021 was sent to SDM, Ghaziabad by Regional Office Ghaziabad, UPPCB to impose Environmental Compensation (EC) of Rs. 25 Lakhs on Ghaziabad Nagar Nigam. In continuation to this a letter has been sent to Head office regarding imposing the Environmental Compensation (EC) of Rs. 25 Lakhs and issue closure under Air Act 31A for illegally operating an industry in Sahibabad Industrial Area. Also, there are violations found at three construction sites, for which letters have been sent to SDM, Sadar, Ghaziabad for imposing EC of Rs. 50,000 on each Construction site.	
<b>v) Encroachments by Informal Activities</b>					
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>	
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam	Total No. of inspections of Encroachments-21, Total No. of defaulters- 10, No. of notice served-03, Fine Imposed- Rs. 5500/-.	
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHALJAGIRI& OTHERS)	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam		
URBAN VILLAGE- BHULAPUR	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam		
<b>vi) Vehicular Parking on Cartlaneway</b>					
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>	

RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	On-street parking of private vehicles	Multilevel car parking (MLCP) complexes are one such solution to provide off-street parking.	Ghaziabad Development Authority	Parking space have been identified and accordingly the same will be implemented
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	On-street parking of private vehicles	Zone-based will be required on-street parking management, so that parking supply is distributed evenly across different streets in the neighborhood.	Nagar Nilgam	Parking spaces have been identified and accordingly the same will be implemented
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	On-street parking of private vehicles	Multilevel car parking (MLCP) complexes are one such solution to provide off-street parking.	Ghaziabad Development Authority	Parking spaces have been identified and accordingly the same will be implemented
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	On-street parking of private vehicles	Zone-based will be required on-street parking management so that parking supply is distributed evenly across different streets in the neighborhood.	Nagar Nilgam	Already Completed
URBAN VILLAGE- BHUAPUR	On-street parking of private vehicles	Vehicles plying on street parking has to be removed or they can be relocated to the nearby parking lots or open spaces.	Ghaziabad Development Authority	Parking spaces have been identified and accordingly the same will be implemented
<b>(vi) Parking of Intermediate Transport Vehicles</b>				
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	There is no problem of parking of Intermediate Transport Vehicles	-	NA	-
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	There is no problem of parking of Intermediate Transport Vehicles	-	NA	-
URBAN VILLAGE- BHUAPUR	As wide roads in the area have been reduced to narrow lanes because of encroachments by the rick pickers/scrab dealers parking of ITV occurred in this village.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. It is also necessary to have level difference of about 0.35-0.50m from the level of road.	Nagar Nilgam	Street Vending zones have been decided.
<b>(vii) High Sound Pressure Level</b>				
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	No high sound pressure level is found in this zone	-	-	-
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	In this zone sound pressure level is above the standard.	Well-designed silencers and mufflers are installed on the vehicles, preferably at the manufacturer's level. There is a need to sensitize public on issues pertaining to traffic noise as most of the strategies for abating noise due to vehicular movements.	Nagar Nilgam	Nagar Nilgam already running PA systems to aware public to not do noise pollutions.
URBAN VILLAGE- BHUAPUR	In this zone sound pressure level is above the standard.	Well-designed silencers and mufflers are installed on the vehicles, preferably at the manufacturer's level. There is a need to sensitize public on issues pertaining to traffic noise as most of the strategies for abating noise due to vehicular movements.	Nagar Nilgam	-
<b>B. POLLUTION-GROUND AND SURFACE WATER</b>				

Location	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
<b>(i) Open &amp; Unlined Drainage Network</b>				
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	Roads are filled with overflowing sewage	Up-gradation of existing sewerage system in a sustainable manner will be required for zone	Nagar Nigam	Already compiled
		The local bodies should be review the adequacy of existing sluices and drainage channels in areas suffering from drainage congestion. If the capacities of existing sluices in embankments and drainage channels are inadequate, they will be improved by increasing the vents and improving outfall conditions.	Nagar Nigam	Under municipal limit all drains have been cleaned accordingly.
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	Sewer overflow is common problem in this zone.	Up-gradation of existing sewerage system in a sustainable manner will be required for zone.	Nagar Nigam	Already compiled
		The possibility of removing buildings/ structures obstructing existing natural drainage lines will be seriously considered by state governments.	Nagar Nigam	Continuous drives are running for the obstructing enchoachers
URBAN VILLAGE- BHUAPUR	There is no proper drainage network in the village.	Up-gradation of existing sewerage system and laying of new sewerage system in a sustainable manner will be required for zone.	Nagar Nigam	Sewerage systems are running properly and maintained under One City One Operator by WABAG
	Dumping of plastic wrappers or other solid waste into the open drains which leads choking of drain.	Detail study need to be conducted and ground water quality station need to be installed to ascertain any pollution of ground water with surface water pollutants.	Nagar Nigam	Water Quality is being checked on daily basis and water harvesting system is being installed on different places as per planning
<b>(ii) Water outfall point in Natural Drainage</b>				
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	No problem of Water outfall point in Natural Drainage			Already compiled
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	No problem of Water outfall point in Natural Drainage			Already compiled
URBAN VILLAGE- BHUAPUR	Wastewater discharge from outlets of all houses joins this drain.	Public-Private Partnership needs to be encouraged for construction, operation and maintenance work for this problem. Low cost alternatives such as oxidation ponds, root zone technology and decentralized systems will be encouraged.	Nagar Nigam Nagar Nigam	Already Compiled
<b>(iii) Encroachment on Drains</b>				
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	No problem of Encroachment on drains found.			Already compiled

RESIDENTIAL ZONE-NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	No problem of Encroachment on drains found.		Already complied
URBAN VILLAGE-BHUAPUR	Encroachments by temporary hawkers	The possibility of removing buildings/ structures obstructing existing natural drainage lines will be seriously considered by Government authorities. In any case, and with immediate effect, unplanned growth will be restricted by state governments so that the construction of structures obstructing natural drainage or resulting in increased flood hazard is not allowed.	Nagar Nigam  Drives have routed by GNN for the same
<b>C. POLLUTION-SOLID AND CONSTRUCTION WASTE SITES</b>			
<b>(i) Waste Dump Sites</b>			
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>
RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	There are inadequate numbers of community dustbins of multiple size and design due to which more waste remain scattered around the bin rather than inside the bin.	Sweeping should be done on all seven days of week. To ensure this, an additional staff is required which should be added to work out the total strength of workers.	Nagar Nigam  Total No.of inspection of Solid Waste Burning/dumping -19, No. of defaulters-04, No. of notice served-03, Total Fine imposed- Rs. 5000/-
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)		The municipal authority shall identify storage spaces such as materials recovery facility, as appropriate, for segregation of municipal solid waste and the storage facilities to be set up by municipal authorities shall be so designed that the municipal solid waste stored are not exposed to open atmosphere and shall be user friendly.	Nagar Nigam
URBAN VILLAGE-BHUAPUR	There is no proper dumping place, waste material are scattered on the road.	Community collection points shall be created at central point by considering quantities of waste generated on that particular location.	Nagar Nigam
	The industrial waste from Sahibabad Industrial Area are also dumped in these dump site.	Different capacity community bins made of mild steel of size 2.5/3.0/3.5/4.5/7 cum. sizes could be considered. These should be fully covered, must be placed at short distance and properly visible and advertised.	Nagar Nigam
	Open garbage dumps have cropped up at various places in the locality, emanating appalling stench.	The containers of at least twice the capacity may be placed at the storage locations to prevent overflow and to provide freedom of lifting at the convenience. Land area should be large enough to last for minimum 20-25 years. If sufficient land area is not available, two three locations in different direction of the city should be selected.	Nagar Nigam
<b>(ii) Construction Waste Dump Sites</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>
<b>Location</b>			<b>Action Taken</b>

RESIDENTIAL ZONE SOUTH (SEEMANT VIHAR & OTHERS)	The C&D waste is being dumped along with the solid waste.	The horticultural and construction or demolition or debris (C&D) or dairy waste shall be separately collected and disposed of in accordance with the Bye laws and not to be mixed with municipal solid waste.	Nagar Nilgam	GNN has done Sideway Greenery and collecting Solid Waste separately as per daily drives and visits.
RESIDENTIAL ZONE NORTH (KAMADGIRI, DHAULAGIRI & OTHERS)	The C&D waste is being dumped along with the solid waste.	The horticultural and construction or demolition or debris (C&D) or dairy waste shall be separately collected and disposed of in accordance with the Bye laws and not to be mixed with municipal solid waste.	Nagar Nilgam	
URBAN VILLAGE- BHULAPUR	The C&D waste is being dumped along with the solid waste.	The horticultural and construction or demolition or debris (C&D) or dairy waste shall be separately collected and disposed of in accordance with the Bye laws and not to be mixed with municipal solid waste.	Nagar Nilgam	

### 1.1.1 Commercial Area-Formal and Informal

Table 5-2: Mitigation and Remedial Measures in Commercial Areas

Location	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
<b>(i) Road Condition and Width</b>				
N/BHD SHOPPING CENTRES	The road condition in good around this area.			
SHOPPING MALLS	The road condition in good around this area.			
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	Encroachments by on-streets hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Any ongoing construction should not conquer the space of the road and banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nilgam	Already Complied Already Complied
<b>(ii) Traffic Congestion</b>				
Location	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
N/BHD SHOPPING CENTRES	No Traffic Congestion is found			
SHOPPING MALLS	No Traffic Congestion is found.			
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	Due to lot of encroachment on roads, unauthorized parking congestion in traffic occurs.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. It is also necessary to have level difference of about 0.30-0.50m from the level of road. Vehicles plying on street parking has to be removed or they can be relocated to the nearby parking lots or open spaces.	Nagar Nilgam/Traffic police	Total vehicle inspection of PUCs in Kaushtambh Area - 5074, Total Challan-355, Total Unauthorized Parking Inspection-9857, No. of defaulters found-2720, No. of Challans-2720, Total Fine Imposed- Rs. 1,19,000/-
<b>(iii) Encroachments by Informal Activities</b>				
Location	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
N/BHD SHOPPING CENTRES	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nilgam	Already Complied
SHOPPING MALLS	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nilgam	Already Complied
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nilgam	Already Complied

<b>(iv) Vehicular Parking on Carriageway</b>						
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>		
NIBHD SHOPPING CENTRES	No vehicular parking on carriageway is found					
SHOPPING MALLS	No vehicular parking on carriageway is found					
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	On-street parking of private vehicles	Multilevel car parking (MLCP) complexes are one such solution to provide off-street parking.	Chazhabad Development Authority	Parking spaces have been identified and accordingly the same will be implemented		
		Zone-based will be required on-street parking management, so that parking supply is distributed evenly across different streets in the neighborhood.	Nagar Nigam	Already Completed		
<b>(v) Parking of Intermediate Transport Vehicles</b>						
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>		
NIBHD SHOPPING CENTRES	As wide roads in the area have been reduced to narrow lanes because of encroachments by hawkers and vendors/parking of ITV occurred in this area.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. The problem can be solve by creating separate spaces for autos, parking for 4 wheelers and also creating spaces for bikes and cycles such that it does not disturb movement on roads and flow of pedestrians.	Nagar Nigam	Already Completed		
SHOPPING MALLS	As wide roads in the area have been reduced to narrow lanes because of encroachments by hawkers and vendors/parking of ITV occurred in this area.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. The problem can be solve by creating separate spaces for autos, parking for 4 wheelers and also creating spaces for bikes and cycles such that it does not disturb movement on roads and flow of pedestrians.	Nagar Nigam	Already Completed		
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	As wide roads in the area have been reduced to narrow lanes because of encroachments by hawkers, vendors, and rickshaw/pickers/scrap dealers parking of ITV occurred.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. The problem can be solve by creating separate spaces for autos, parking for 4 wheelers and also creating spaces for bikes and cycles such that it does not disturb movement on roads and flow of pedestrians.	Nagar Nigam	Already Completed		
<b>(vi) High Sound Pressure Level</b>						
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>		
NIBHD SHOPPING CENTRES	In this zone sound pressure level is above the standard.	Well-designed silencers and mufflers be installed on the vehicles, preferably at the manufacturer's level. There is a need to sensitize public on issues pertaining to traffic noise as most of the strategies for abating noise due to vehicular movements.	Nagar Nigam	Notices for keeping the rules implemented on ground level, GNN runs public awareness on continue basis.		
SHOPPING MALLS	In this zone sound pressure level is above the standard.	Well-designed silencers and mufflers be installed on the vehicles, preferably at the manufacturer's level. There is a need to sensitize public on issues pertaining to traffic noise as most of the strategies for abating noise due to vehicular movements.	Nagar Nigam	Already Completed		

ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	In this zone sound pressure level is above the standard.	Well-designed silencers and mufflers be installed on the vehicles, preferably at the manufacturer's level.	Nagar Nigam	-
		There is a need to sensitize public on issues pertaining to traffic noise as most of the strategies for abating noise due to vehicular movements.	Nagar Nigam	-
<b>B. POLLUTION-GROUND AND SURFACE WATER</b>				
<b>(i) Open &amp; Unlined Drainage Network</b>				
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>
NBHD SHOPPING CENTRES	No problem found of open & Unlined drainage network in this area.	-	-	-
SHOPPING MALLS	No problem found of open & Unlined drainage network in this area.	-	-	-
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	There is no proper drainage network in the urban village.	Up-gradation of existing sewerage system and laying of new sewerage system in a sustainable manner will be required for zone. The containers of at least twice the capacity may be placed at the storage locations to prevent overflow and to provide freedom of lifting at the convenience.	Nagar Nigam	Already Completed
<b>(ii) Water outfall point in Natural Drainage</b>				
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>
NBHD SHOPPING CENTRES	No problem found of Water outfall point in Natural Drainage in this area.	-	-	-
SHOPPING MALLS	No problem found of Water outfall point in Natural Drainage in this area.	-	-	-
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	Wastewater discharge from outlets of all houses joins this drain.	Public-Private Partnership needs to be encouraged for construction, operation and maintenance work for this problem.	Nagar Nigam	Already Completed
<b>(iii) Encroachment on Drains</b>				
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>
NBHD SHOPPING CENTRES	No problem of Encroachment on drains found.	-	-	-
SHOPPING MALLS	No problem of Encroachment on drains found	-	-	-
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	Encroachments by hawkers.	The possibility of removing buildings/ structures obstructing existing natural drainage lines will be seriously considered by Government authorities. In any case, and with immediate effect, unplanned growth will be restricted by state governments so that the construction of structures obstructing natural drainage or resulting in increased flood hazard is not allowed.	Nagar Nigam	Already Completed
<b>C. POLLUTION-SOLID AND CONSTRUCTION WASTE SITES</b>				
<b>(i) Waste Dump Sites</b>				

Location	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
NBHD SHOPPING CENTRES SHOPPING MALLS	No problem of waste dump sites is found. The waste from these business communities again accumulates on streets and road.	Sweeping should be done on all seven days of week. To ensure this, an additional staff is required which should be added to work out the total strength of workers.	Nagar Nigam	GNNI has prepared the roster for cleaning mechanically and manually the streets everyday
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	All type of solid waste generated is mixed with municipal solid waste including, demolition waste and inert waste.	The municipal authority shall identify storage spaces such as materials recovery facility, as appropriate, for segregation of municipal solid waste and the storage facilities to be set up by municipal authorities shall be so designed that the municipal solid waste stored are not exposed to open atmosphere and shall be user friendly.	Nagar Nigam	Garbage have been collected and transported directly to the Garbage Factory.
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	Open garbage dumps have cropped up at various places in the locality, emanating appalling stench.	The containers of at least twice the capacity may be placed at the storage locations to prevent overflow and to provide freedom of lifting at the convenience.	Nagar Nigam	Already Complied
<b>(ii) Construction Waste Dump Sites</b>				
<b>Location</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>
NBHD SHOPPING CENTRES SHOPPING MALLS	No problem of Construction waste dump sites is found			
ON-STREET EATERIES & SHOPS IN URBAN VILLAGES	No problem of Construction waste dump sites is found	The horticultural and construction or demolition or debris (C&D) or daily waste shall be separately collected and disposed of in accordance with the Bye laws and not to be mixed with municipal solid waste.	Nagar Nigam	Already Complied
<b>1.1.1 Hotels and Restaurants-Formal Hotels in Malls &amp; Independent and Residential Zones</b>				
The aspect and area wise mitigation and remedial measures are delineated in Table 5.3.				
<b>Table 5-3: Mitigation and Remedial Measures in Hotel Areas</b>				
<b>LOCATION</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>
<b>A. POLLUTION-AIR &amp; NOISE</b>				
<b>(i) Road Condition and Width</b>				
FORMAL HOTELS IN MALLS & INDEPENDENT	The road condition is good around this area.			
HOTELS IN RESIDENTIAL ZONES	The road condition is good around this area			
<b>(ii) Traffic Congestion</b>				
FORMAL HOTELS IN MALLS & INDEPENDENT	No Traffic Congestion is found.		Concerned Department	Action Taken

HOTELS IN RESIDENTIAL ZONES	Due to lot of encroachment on roads, unauthorized parking congestion in traffic occurs.	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. It is also necessary to have level difference of about 0.30-0.50m from the level of road.	Nagar Nigam	Already Completed
		Vehicles plying on street parking has to be removed or they can be relocated to the nearby parking lots or open spaces.	Nagar Nigam	Already Completed
<b>(iii) Encroachments by Informal Activities</b>				
FORMAL HOTELS IN MALLS & INDEPENDENT	No encroachments by informal activities is seen in this area.		Concerned Department	Action Taken
HOTELS IN RESIDENTIAL ZONES	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam	Already Completed
			Nagar Nigam	Already Completed
<b>(iv) Vehicular Parking on Carriageway</b>				
FORMAL HOTELS IN MALLS & INDEPENDENT	No vehicular parking on carriageway is seen in this area		Concerned Department	Action Taken
HOTELS IN RESIDENTIAL ZONES	On-street parking of private vehicles	Multilevel car parking (MLCP) complexes are one such solution to provide off-street parking.	Ghaziabad development Authority	Parking spaces have been identified and accordingly the same will be implemented
<b>1.1.1 Institutional Areas-Hospitals/Health Centers and Office Building/Complexes</b>				
The aspect and area wise mitigation and remedial measures are delineated in Table 5.4.				
<b>Table 5.4: Mitigation and Remedial Measures in Institutional Areas</b>				
<b>LOCATION</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES</b>	<b>Concerned Department</b>	<b>Action Taken</b>
<b>A. POLLUTION-AIR &amp; NOISE</b>				
<b>(i) Traffic Congestion</b>				
HOSPITALS/HEALTH CENTRES	No traffic congestion			
OFFICE BUILDING/COMPLEX ES	On-street parking of private vehicles	Vehicles plying on street parking has to be removed or they can be relocated to the nearby parking lots or open spaces.	Nagar Nigam	Already Completed
<b>(ii) Encroachments by Informal Activities</b>				
LOCATION	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
HOSPITALS/HEALTH CENTRES	No encroachments by informal activities is seen in this area.			
OFFICE BUILDING/COMPLEX ES	Encroachments by hawkers and vendors	Spaces for vendors and local shops need to be assigned properly. Banning the expansion of shops on the roads and pavement.	Nagar Nigam	Already Completed
			Nagar Nigam	Already Completed
<b>(iii) Vehicular Parking on Carriageway</b>				
LOCATION	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
HOSPITALS/HEALTH CENTRES	No vehicular parking on carriageway is seen in this area			
OFFICE BUILDING/COMPLEX ES	On-street parking of private vehicles	Multilevel car parking (MLCP) complexes are one such solution to provide off-street parking.	Ghaziabad development Authority	Parking spaces have been identified and accordingly the same will be implemented
<b>B. POLLUTION-SOLID AND CONSTRUCTION WASTE SITES</b>				

(b) Waste Dump Sites				
LOCATION	PROBLEM	MITIGATION/ REMEDIAL MEASURES	Concerned Department	Action Taken
HOSPITALS/HEALTH CENTRES	Kaushambi has a large number of Nursing homes, pathology centers and hospitals. Hospital waste, and all kinds of waste are currently getting access along with other waste.	The bio medical shall be separately collected and disposed of in accordance with the Bye laws and not to be mixed with municipal solid waste.	UPPCB/ Nagar Nigam	Inspections have been done for ensuring compliance of BMW Rules, 2016 by all health care Establishments.
OFFICE BUILDING/COMPLEXES	The waste from these offices and complexes again accumulates on streets and road.	Sweeping should be done on all seven days of week. To ensure this, an additional staff is required which should be added to work out the total strength of workers.	Nagar Nigam	Roster programmes for cleaning streets all seven days.
	All type of solid waste generated is mixed with municipal solid waste including, demolition waste and inert waste.	The municipal authority shall identify storage spaces such as materials recovery facility, as appropriate, for segregation of municipal solid waste and the storage facilities to be set up by municipal authorities shall be so designed that the municipal solid waste stored are not exposed to open atmosphere and shall be user friendly.	Nagar Nigam	Already Completed

सुरेन्द्र सिंह  
आई.ए.एस.  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल



पत्र सं. 1039/PA-2021  
कार्यालय : 0121 2661090, 2641155  
निवास : 0121 2641377, 2657539  
फैक्स : 0121 2664431, 2640411  
E-mail : commmee@nic.in  
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

दिनांक : 22.11.2021

प्रिय शक्ती जी,

आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/ 2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु विभागवार शॉर्ट टर्म/लॉग टर्म कार्ययोजना बनायी गयी है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन अपेक्षित है। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01-11-2021 को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुपालन हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष प्रभावी कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की आख्या अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सद्भाव सहित,

भवनिष्ठ,

  
22/11/20  
(सुरेन्द्र सिंह)

श्री राकेश कुमार सिंह  
ज़िलाधिकारी,  
गाज़ियाबाद।

सुरेन्द्र सिंह  
आई.ए.एस.  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल



344  
पत्र सं. 1040/FA-2021  
कार्यालय : 0121 2661090, 2641155  
निवास : 0121 2641377, 2657539  
फैक्स : 0121 2664431, 2640411  
E-mail : commmee@nic.in  
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दिनांक : 22-11-2021

प्रिय पवन जी,

आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/ 2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु विभागवार शॉर्ट टर्म/लॉग टर्म कार्ययोजना बनायी गयी है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन अपेक्षित है। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01-11-2021 को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुपालन हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष प्रभावी कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की आख्या अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर,

भवनिष्ठ,  
22/11/2021  
(सुरेन्द्र सिंह)

श्री पवन कुमार,  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
गाज़ियाबाद।



कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।  
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD  
फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820108, 2828798 (फैक्स)

संख्या- 1461 / एस0टी0ए0डी0एम0सिटी / 2021

दिनांक- 27/11/21

सेवा में,

आयुक्त,  
मेरठ मण्डल,  
मेरठ

विषय :- Kaushambi Apartments Residence Welfare Association Vs Divisional  
Commissioner Meerut Division & Ors

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या- 1039/पी0ए0-2021 दिनांक 20-11-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें निर्देशित किया गया कि आनन्द बिहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में योजित ओ0ए0-308/2015 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2021 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही कराते कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित विभागों से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 308/2021 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराकर संकलित कर आख्या आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

( राकेश कुमार सिंह  
जिलाधिकारी, 27/11/21  
गाजियाबाद

मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने योजित ओ0ए0 संख्या 308/2016 के अन्तर्गत एकीकरण एलीकरण संख्या-20/2019 कौशाम्बी अपार्टमेन्ट रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (कारवा) बनाम आयुक्त, मेरठ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या के आधार पर अनुपालन आख्या।

क्र0 सं0	बिन्दु	सम्बन्धित विभाग	अनुपालन आख्या																																				
<b>Short Term Measures</b>																																							
I.	आवासीय क्षेत्रों के पास हार्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध के अलावा सभी उच्च यातायात क्षेत्रों में शोर स्तर अवरोध बनाया जाना चाहिए।	जिलाधिकारी, गाजियाबाद।	इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता श्री विनय कुमार मित्तल एवं सम्बन्धित विभागों के साथ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आहुत बैठक दिनांक 10.09.2021 में निर्देशित किया गया है कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कौशाम्बी क्षेत्र में रिकत जमीन पर कम से कम 06 फिट ऊंचे अशोक के पेड़ लगाये जायें।																																				
II.	निजी बसों, ऑटो और विक्रमों (टेम्पोस) को रोकना आवश्यक है, जो बस स्टेशन के दोनों ओर सड़क पर बस स्टेशन के गेट के बाहर से अवैध रूप से संचालित होती हैं।	यातायात पुलिस/सम्भागीय परिवहन विभाग/नगर निगम	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या में अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में यातायात नियम सम्बन्धी कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>कौशाम्बी क्षेत्र</th> <th>नो-पार्किंग</th> <th>रॉग साइड</th> <th>ध्वनि/वायु प्रदूषण</th> <th>केन द्वारा</th> <th>सीज बाहन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.11.2021 से 26.11.2021 तक</td> <td>1747</td> <td>485</td> <td>194</td> <td>348</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>01.01.2021 से 26.11.2021 तक</td> <td>18652</td> <td>4365</td> <td>1613</td> <td>3199</td> <td>832</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सम्पूर्ण गाजियाबाद क्षेत्र</th> <th>नो-पार्किंग</th> <th>रॉग साइड</th> <th>ध्वनि/वायु प्रदूषण</th> <th>केन द्वारा</th> <th>सीज बाहन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.11.2021 से 26.11.2021 तक</td> <td>5772</td> <td>2630</td> <td>1262</td> <td>800</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>01.01.2021 से 26.11.2021 तक</td> <td>50427</td> <td>17068</td> <td>8317</td> <td>7072</td> <td>3526</td> </tr> </tbody> </table>	कौशाम्बी क्षेत्र	नो-पार्किंग	रॉग साइड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज बाहन	01.11.2021 से 26.11.2021 तक	1747	485	194	348	102	01.01.2021 से 26.11.2021 तक	18652	4365	1613	3199	832	सम्पूर्ण गाजियाबाद क्षेत्र	नो-पार्किंग	रॉग साइड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज बाहन	01.11.2021 से 26.11.2021 तक	5772	2630	1262	800	351	01.01.2021 से 26.11.2021 तक	50427	17068	8317	7072	3526
कौशाम्बी क्षेत्र	नो-पार्किंग	रॉग साइड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज बाहन																																		
01.11.2021 से 26.11.2021 तक	1747	485	194	348	102																																		
01.01.2021 से 26.11.2021 तक	18652	4365	1613	3199	832																																		
सम्पूर्ण गाजियाबाद क्षेत्र	नो-पार्किंग	रॉग साइड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज बाहन																																		
01.11.2021 से 26.11.2021 तक	5772	2630	1262	800	351																																		
01.01.2021 से 26.11.2021 तक	50427	17068	8317	7072	3526																																		

- सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि 06.11.2021 से 22.11.2021 के मध्य कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

	वाहन प्रदूषण की	वाहन फिटनेस	अनाधिकृत पार्किंग	रॉग साइड	विजीबल इमीशन
कुल निरीक्षण	1250	610	02	04	0
कुल दोषी	184	228	02	04	0
नोटिस प्रेषित	0	0	0	0	0
शुल्क अधिरोपित	18.40 लाख	11.45 लाख	1000	1200	0
एफआईआर की संख्या	0	0	0	0	0
जब्त किये गये वाहनों की संख्या	95	135	0	0	0

- पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या में अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में यातायात नियम सम्बन्धी कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

कौशाम्बी क्षेत्र	नो-पार्किंग	रॉग साइड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज बाहन
01.11.2021 से	1747	485	194	348	102
26.11.2021 तक					
01.01.2021 से	18652	4365	1613	3199	832
26.11.2021 तक					

सम्पूर्ण गाजियाबाद क्षेत्र	नो-पार्किंग	रॉग साइड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज बाहन
01.11.2021 से	5772	2630	1262	800	351
26.11.2021 तक					
01.01.2021 से	50427	17088	8317	7072	3526
26.11.2021 तक					

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि कौशाम्बी योजना में मेट्रोलेबिल पार्किंग निर्मित किए जाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। कौशाम्बी योजना के निकट वैशाली मेट्रो

III. अवेध पार्किंग पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।  
यातायात पुलिस/नगर नियम, गाजियाबाद

स्टेशन् के पास प्राधिकरण की मल्टीलेबल पार्किंग संचालित है, जिसका उपयोग जन साधारण द्वारा किया जा रहा है।

**नगर निगम, गाजियाबाद:-**

- कौशांबी क्षेत्र में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में कोई पार्किंग ठेका नहीं छोड़ा गया है।
- गाजियाबाद नगर निगम द्वारा समय-समय पर पुलिस अधीक्षक-यातायात को पत्र प्रेषित कौशांबी क्षेत्र स्थित अवैध पार्किंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग स्थल निम्नवत् है:-

1. आपुलेन्ट मॉल के बाहर
2. वैशाली स्थित आर0के0 टॉवर।
3. तुलसी निकेतन मीपुरा।
4. रमते राम रोड व्यवसायिक काम्प्लेक्स स्थित।
5. गौर मॉल के सामने चिन्वी रेस्टोरेन्ट से आर0बी0एल0 बैंक तक सर्विस रोड पर।
6. आर0टी0ओ0 कार्यालय के बाहर।
7. गौर मॉल के गेट के सामने।

वर्तमान में नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तगत स्थित 100 वाडों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। कूड़े के पृथक्कीकरण तथा निस्तारण हेतु 02 गार्बेज फैक्ट्री (रेत मण्डी एवं सिहानी गैराज स्थित) संचालित है। वर्तमान में कौशांबी, वैशाली वसुंधरा क्षेत्र में और गुणवत्तापूर्वक कूड़ा कलेक्शन हेतु 100 डोर-टू-डोर वाहन (किराया पद्धति के माध्यम से) द्वारा कार्य कराया जाना है, जिस हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। डोर-टू-डोर की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु जो सोसायटी/व्यवसायिक प्रतिष्ठान बल्क वेस्ट जनरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको जागरूक करते हुए सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करायी जा रही है। गीले एवं सूखे कूड़े के पृथक्कीकरण हेतु एन.जी.ओ. के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक कराया जा रहा है। क्षेत्र के अन्दर संचालित डेयरियों के गोबर प्रबंधन करने हेतु डेरी से ही गोबर कलेक्ट करने के लिये निविदा आमंत्रित की जा रही है।

कौशांबी क्षेत्र में सीवर लाईन एवं रोड निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नालों में उत्स्रवाह का समुचित प्रवाह सुनिश्चित किया जा रहा है। कौशांबी के बड़े व छोटे नालों का सफाई कार्य प्रतिदिन आवश्यकतानुसार कराया जाता है। कुछ स्थान पर नाले का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.09.2021 में यह अवगत कराया गया है कि कौशांबी बस स्टेशन का पूरा प्राणण पक्का है एवं वहा पर साफ-सफाई की पूर्ण व्यवस्था है।

	<p>नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान, कचरा पृथक्करण उचित होना चाहिए और नगर निगम, गाजियाबाद को निर्देश जारी किया जाना चाहिए।</p>	<p>नगर गाजियाबाद</p>	<p>निगम,</p>
<p>IV.</p>	<p>सभी नालों एवं सीवर लाईन का उचित रख-रखाव किया जाये।</p>	<p>नगर गाजियाबाद</p>	<p>निगम,</p>
<p>VI.</p>	<p>कौशांबी बस स्टेशन रोड पर धूल प्रदूषण को रोकथाम हेतु सड़क को पक्का किया जाये तथा सतत अनुश्रवण एवं रख-रखाव किया जाये।</p>	<p>नगर गाजियाबाद</p>	<p>यू0पी0एस0आर0टी0सी0</p>

**Long Terms Measures**

1	गाजियाबाद के इन्वियरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	समस्त सम्बन्धित विभाग	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कौशाम्बी क्षेत्र का इन्वियरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उक्त कार्ययोजना के सापेक्ष कृत कार्यवाही का विवरण सलान है। यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा अलग करया गया है कि दिल्ली से गाजियाबाद की ओर ट्रेफिक का संचालन सुचारु रूप से करने हेतु दिल्ली को ओर स्थित गेट नं-3 के चौड़ीकरण की कार्यवाही गतिशील है एवं गेट चौड़ीकरण हेतु परिवहन निगम मुख्यालय से गेट चौड़ीकरण का टेण्डर का अवाई हो चुका है, परिवहन निगम मुख्यालय से स्वीकृति मिलते ही कार्य आरम्भ हो जायेगा।
2	कौशाम्बी बस स्टेशन के एगिजट गेट को यात्री प्रवेश द्वार के बायीं ओर शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में।	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 / यातायात पुलिस / सभांगीय परिवहन विभाग / नगर निगम	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा अलग करया गया है कि सभी लॉग टर्म एवं शार्ट टर्म का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है, वर्तमान में कौशाम्बी बस स्टेशन से 500 बसों में से 100 बसे सी0एन0जी0 बसों में परिवर्तित हो गयी है, इसके अतिरिक्त सी0एन0जी0 बसों में ओर बृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है व अनुबन्धित बसों का अनुबन्ध सी0एन0जी0 से किया जा रहा है।
3	सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा शार्ट थर्म एवं लॉग टर्म सेजर का अनुपालन किया जाने के सम्बन्ध में-	यू0पी0एस0आर0टी0सी0	नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अवगत करया गया है कि उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
4	वेव सिनेमा के सामने जहा सीवेज सिस्टम डाला गया है, रोड को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में-		
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 02 बिन सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में-	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 / नगर निगम, गाजियाबाद	<ul style="list-style-type: none"> <li>• यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा अवगत करया गया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 02 बिन सिस्टम व्यवस्था लागू करने हेतु जोनल अधिकारी, वसुन्धरा जोन से सम्पर्क किये जाने हेतु सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, कौशाम्बी डिपो को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।</li> <li>• नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कौशाम्बी बस स्टॉप के अन्दर 02 बिन की व्यवस्था कराने हेतु यू.पी. एस.आर.टी.सी. से वार्ता की जा चुकी है, जिनके द्वारा बस स्टॉप के अन्दर 02 बिन लगावये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।</li> </ul>
6	कौशाम्बी बस डिपोट के समीप बसों, ऑटों को सड़क पर खड़ा न किया जाये तथा अवैध दुकानों को रोके जाने के सम्बन्ध में-	नगर निगम, गाजियाबाद / यातायात पुलिस / यू0पी0एस0आर0टी0सी0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा अवगत करया गया है कि कौशाम्बी बस डिपो के समीप सड़क पर जो बसे खड़ी होती थी अब उनको साहिबाबाद डिपो के अन्दर खड़ा करया जाता है तथा जो ऑटों सड़क पर खड़े होते थे उनको पार्किंग स्थल पर खड़ा करया जाता है। इसके बाबजूद जो ऑटों चालक अपने ऑटों को सड़क पर खड़ा करते हैं, उनके विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>• यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा अवगत करया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा टैम्पो स्टैण्ड का चयन किया जा चुका है एवं सिटी बस चौराहें से आगे खड़ी हो रही है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद सिटी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना प्रस्तावित है।</li> </ul>

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*[Handwritten Signature]*

# कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम

प्रेषक,  
नगर आयुक्त,  
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल,  
मेरठ।

पत्रांक:- 1021 / न0आ / 2021-22 दिनांक:- 27 / 11 / 2021  
विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-308/2015 के अन्तर्गत एकजीक्युशन एपलीकेशन संख्या-20/2019 कौशाम्बी अपार्टमेंट रेजीडेन्स वैलफेयर एसोसिएशन(कारवों) बनाम आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ व अन्य में पारित आदेश दिनांक-25.10.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,  
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक:-1028/पी0ए0-2021 दिनांक-20.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-308/2015 के अन्तर्गत एकजीक्युशन एपलीकेशन संख्या-20/2019 कौशाम्बी अपार्टमेंट रेजीडेन्स वैलफेयर एसोसिएशन (कारवों) बनाम आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ व अन्य में पारित आदेश दिनांक-25.10.2021 के अनुपालन में वांछित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही/प्रगति आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में नगर निगम गाजियाबाद से सम्बन्धित बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोक्त।

भवदीय  
(आर0एन0 पी0ई0) (सं. 11/11/21)  
अपर नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-308/2015 के अन्तर्गत एकजीक्युशन एपलीकेशन संख्या-20/2019 कौशाम्बी अपार्टमेन्ट रेजीडेन्स वैलफेयर एसोसिएशन(कारवाँ) बनाम आयुक्त मेरठ व अन्य में नगर निगम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण।

बिन्दुओं पर एकजीक्युशन दाखिल की गयी है, जिसमें नगर निगम गाजियाबाद से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही व उसके सापेक्ष अनुपालन आख्या निम्नवत् है:-

S.no	Issue	Agency	Compliance
<b>Short Term</b>			
02	निजी बसों और विक्रम टैंपो को रोकने आवश्यक है जो बस स्टेशन के दोनों ओर सड़क पर बस स्टेशन के गेट के बाहर से अवैध रूप से संचालित होती हैं	यातायात पुलिस/सम्भागीय परिवहन विभाग/नगर निगम गाजियाबाद	पुलिस अधीक्षक यातायात गाजियाबाद द्वारा अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्र में अतिक्रमण तथा अवैध रूप से संचालित निजी बसों आदि के संबंध में वास्तविक स्थिति का आंकलन हेतु स्थल का सर्वे कर आख्या प्रेषित की जानी है।
03	अवैध पार्किंग पर रोक लगाए जाने के संबंध में	यातायात पुलिस/नगर निगम गाजियाबाद	बिन्दु-1 (पू) 1. कौशाम्बी क्षेत्र में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में कोई पार्किंग ठेका नहीं छोड़ा गया है। 2. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा समय-समय पर पुलिस अधीक्षक (यातायात) को पत्र प्रेषित कर कौशाम्बी क्षेत्र स्थित अवैध पार्किंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाता है। 3. वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संचालित

			<p>पार्किंग स्थल निम्नलिखित हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आपूलनर मॉल के बाहर</li> <li>2. नेपाली स्थल आरक टॉवर</li> <li>3. तुलसी निकलन भापुश</li> <li>4. रगत राम रोड व्यावसायिक काम्पलेक्स स्थित</li> <li>5. गौर मॉल के सामने चिन्ची रेस्टोरेन्ट रो आर. वी.एल. वैक तक सर्विस रोड पर</li> <li>6. आर.टी.ओ. कार्यालय के बाहर</li> <li>7. गौर मॉल के गेट के सामने</li> </ol>
03	<p>नगरिया ठोस अपशिष्ट का निपटान कचरा पृथक्करण उचित होना चाहिए और नगर निगम गाजियाबाद को निर्देश जारी किया जाना चाहिए</p>	<p>नगर निगम गाजियाबाद</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कौशाम्बी आवासीय कॉलोनी में नगर निगम के वाहनों द्वारा सूखा व गीला कुड़ा घर-घर से एकत्र कर अपने संसाधनों से निस्तारित कराया जा रहा है।</li> <li>2. उक्त क्षेत्र में सप्ताह में दो दिन रोड़ स्वीपिंग मशीन द्वारा सड़को की सफाई करायी जाती है।</li> <li>3. कौशाम्बी में डाबर मोड़ से दिल्ली बॉर्डर तक रात्रि कालिन सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत निरन्तर सफाई करायी जाती है।</li> <li>4. कौशाम्बी आवासीय कॉलोनी में 08 मुख्य नाले है, जिनकी सफाई प्रतिमाह नाला सफाई मशीन व मैनुअली माह के प्रथम सप्ताह में करायी जाती है।</li> <li>5. उक्त क्षेत्र में मच्छरों की रोक थाम हेतु निगम द्वारा फौगिंग समय-समय पर करायी जाती है।</li> <li>6. कौशाम्बी क्षेत्र में कूड़े के संग्रहण हेतु अलग-2 स्थानों पर डस्टबिन स्थापित किये गये है जिनसे</li> </ol>

प्रतिदिन कूड़ा वड़े वाहनों में शिफ्ट कर निस्तारित कराया जाता है।

7 कौशाम्बी स्थित दोनो कूड़ा संग्रहण केंद्र मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश अनुसार जी0डी0ए0 द्वारा गाजियाबाद नगर निगम को दिये गये थे। आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के समक्ष दिनांक-19.12.2019 को सुनवाई के दौरान मण्डायुक्त महोदय के द्वारा जी0डी0ए0 को निर्देशित किया की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इसका तत्काल स्थलीय निरीक्षण किया जाये तथा यदि ग्रीन बेल्ट पर डम्पिंग ग्राउण्ड बनाया गया है तो उसे तत्काल शिफ्ट किया जाये।

जी0डी0ए द्वारा अभी तक कोई भी द्वितीय संग्रहण केंद्र हेतु अन्यत्र स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है। फिर भी नगर निगम द्वारा कौशाम्बी में दोनो द्वितीय संग्रहण केंद्र बन्द कर दिये गये हैं।

कूड़े के पृथक्कीकरण तथा निस्तारण हेतु 02 गार्बेज फैक्ट्री(रित मण्डी एवं सिहानी गैराज स्थित) संचालित है। वर्तमान में कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा क्षेत्र में और गुणवत्तापूर्वक कूड़ा कलेक्शन हेतु 100 डोर-टू-डोर वाहन(किराया पद्धति के माध्यम से) द्वारा कार्य कराया जाना है जिस हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। डोर-टू-डोर की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु जो सोसायटी/व्यवसायिक प्रतिष्ठान बल्क वेस्ट जनरेटर्स की कटेगरी में आते है, उनको जागरूक करते हुए सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करायी जा

04	सभी नालों एवं सीवर लाइन्स का संचित रखरखाव किया जाए	नगर निगम गाजियाबाद	<p>रही है। नीचे एवं संचित करने के पुनर्निर्माण हेतु एवं नालों का माध्यम से आम जनमानस को आमरूपक बताया जा रहा है। इन के अन्दर संचालित उपकरणों के गीवर प्रकल्प करने हेतु उचित गीबल कलेक्ट करने के लिये निविदा आमंत्रित की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया है कि कौशाम्बी क्षेत्र में सीवर लाइन्स एवं सेड निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नालों में उत्प्रवाह का समुचित प्रवाह सुनिश्चित किया जा रहा है। कौशाम्बी के बड़े व छोटे नालों का सफाई कार्य प्रतिदिन आवश्यकतानुसार कराया जाता है। कुछ स्थान पर नाले का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<b>Long Term</b>			
05	नगरिया जोरा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 2 दिन शिफ्ट लागू किए जाने के संबंध में	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 / नगर निगम गाजियाबाद	कौशाम्बी बस स्टॉप के अन्दर 2 बिन की व्यवस्था कराने हेतु यू.पी. एस.आर.टी.सी. से वार्ता की जा चुकी है, जिनके द्वारा बस स्टॉप के अन्दर 2 बिन लगवाये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।
06	कौशाम्बी बस डिपो के समीप बसों, ऑटो को राइक पर खड़ा न	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 / थाताथात पुलिस / नगर निगम गाजियाबाद	कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, आनन्द विहार, ई0डी0एम0 मॉल के पास मुख्य मार्ग से दिनांक-12.08.2021

किसे-जाए तथा-अपने  
दुकानों को रोके जाने  
के संबंध में

की-न्यमन 200-को-द्वारा-20  
पट्टी-अस्थापी-आज-जान-की  
कार्यवाही की गयी।

पुनः-को-आजीव-जान-से  
अतिक्रमण-हटाने-हेतु-दिनांक-08  
10.2021-नियत-की-गयी-है।

पुनः-अतिक्रमण-न-किया-जाये-इस  
सम्बन्ध-में-नगर-आयुक्त-मार्गद्वय-के  
आदेश-पत्रक-1112/  
न0.आ0/2021-22-दिनांक-06  
10.2021-के-द्वारा-सम्बन्धित  
अधिकारियों-का-संज्ञित-रज-किया  
गया-है।

आयुक्त-मेरठ-मण्डल-द्वारा  
जनपद-स्तर-पर-अपर-जिलाधिकारी  
नगर-पुलिस-अधीक्ष-शाखायात,  
सम्भागीय-परिवहन-अधिकारी, क्षेत्रीय  
प्रबन्धक-यू.पी.एस.आर.टी.सी  
गाजियाबाद-की-संयुक्त-समिति-का  
गठन-किया-गया-है। जो  
डीजल/नॉन-इलैक्ट्रीक-अन्तराज्यीय  
बसों-के-संचालन-हेतु-संगठित-स्थल  
का-चयन-कर-आख्या-प्रेषित-करेगी।

यह-भी-उल्लेखनीय-है-कि  
विशेष-सचिव, उत्तर-प्रदेश-शासन,  
नगर-विकास-अनुभाग-9-के-पत्र  
संख्या

1812/नौ-9-2019-178ज/2019  
दिनांक-03-दिसम्बर-2019-के-द्वारा  
प्रदेश-के-शहरों-में-वातानुकूलित  
मिडी-इलैक्ट्रीक-बसों-के-संचालन  
हेतु-चार्जिंग-स्टेशन-व-शेड-निर्माण  
के-लिये-परियोजना-प्रबन्धक  
यूनिट-28-कन्सट्रक्शन-एण्ड  
डिजाइन-सर्विसेज-उत्तर-प्रदेश-जल  
निगम-गाजियाबाद-को-कार्यदायी  
संस्था-नामित-किया-गया-है। फर्म  
के-पत्र-संख्या

2061/कार्य-80/34-दिनांक-23.  
12.2020-का-अवलोकन-करने-का



क्र०सं०	नाम	स्थान	धनराशि	पुस्तक संख्या	संख्या	दिनांक
1	श्रीमती विमला	गंगोत्री टावर फ्लैट संख्या-137 भोवानपुर कौशाम्बी दुकान पट्टी पर अतिक्रमण	500	66	31	01.01.021
2	श्री भूरा	गांव भोवापुर कौशाम्बी राइक पट्टी पर अतिक्रमण	1000	66	32	01.01.021
3	श्री भगवान देन	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	66	33	01.01.021
4	श्री एल०बी०सिंह	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	66	34	01.01.021
5		कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	157	71	08.11.021
6	श्री मोनू	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	157	72	08.11.021
7	श्री सुनील	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	157	73	08.11.021
8	श्री जगदीश कुमार	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	157	74	08.11.021
9	श्री राजकुमार	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	157	75	08.11.021
10	श्री महेन्द्र	कौशाम्बी फुटपाथ पर दुकान	500	157	76	08.11.021
कुल योग-			5500			

क्र.सं०	कार्य का नाम	आवृत्त व्यय
1	मा० एन.जी.टी. द्वारा निर्धारित ट्रैफिक मैनेजमेंट के अन्तर्गत कौशाम्बी में दिल्ली पुलिस बूथ के पीछे स्थित (कौशाम्बी साईड) टैम्पू स्टैण्ड के बराबर साईड पटरी के सुदृढीकरण का कार्य।	773361.00
2	मा० एन.जी.टी. द्वारा निर्धारित ट्रैफिक मैनेजमेंट के अन्तर्गत डा० वर्मन रोड पर यशोदा हॉस्पिटल के सामने कौशाम्बी मेट्रो के स्टेशन के सामने एवं कौशाम्बी डिपो के सामने यू टर्न बनाने का कार्य।	2972358.00
3	मा० एन.जी.टी. द्वारा निर्धारित ट्रैफिक मैनेजमेंट के अन्तर्गत सौर ऊर्जा मार्ग पर स्थित कौशाम्बी डिपो के बराबर टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण कार्य।	2198637.00
4	वार्ड 72 टी.एम.एस. के अन्तर्गत डा० वर्मन रोड पर यशोदा हॉस्पिटल एवं कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के सामने चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	2999495.00
5	वार्ड 72 मा० एन.जी.टी. के आदेशों के अन्तर्गत टी.एम.एस. के अन्तर्गत डा० वर्मन रोड पर कौशाम्बी डिपो एवं फेयर एस्पॉर्ट (इण्डिया) प्रा० लि० के सामने सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	2993619.00
6	मा० एन.जी.टी. के आदेशानुसार वार्ड 72 में टी.एम.एस. के अन्तर्गत कौशाम्बी में दिल्ली पुलिस बूथ के पीछे स्थित कौशाम्बी साईड में टैम्पू स्टैण्ड का निर्माण कार्य।	2409606.00
	कुल योग	14347076.00

*[Handwritten Signature]*

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दूरभाष संख्या-0121-2641377, 2657539, फोनस-2640411, ईमेल comminee@nic.in

पत्र संख्या: 1025/पी०ए०-2021

दिनांक: 20 नवम्बर, 2021

AMC (ANP)

रूप आ का हेतु

NA  
20/11/21

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली द्वारा E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 302/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में दिनांक 25-10-2021 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री वी०के० मित्तल, अध्यक्ष, कौशांबी अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (कारवा), कौशांबी, गाजियाबाद के संलग्न पत्र दिनांक 19-11-2021, जो ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्ररनगत प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में कतिपय बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के सन्त अगली सुनवाई हेतु 30-11-2021 की तिथि नियत है। अतएवं आपसे अपेक्षा है कि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25-10-2021 के अनुपालन में वांछित प्रभावी कार्यवाही समयवद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही/प्रगति आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-गर्भोक्त।

(सुरेन्द्र सिंह)  
20/11/21

आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन एवं दिनांक तादीय।

प्रतिलिपि- अपर आयुक्त (द्वितीय), मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रकरण में समयवद्ध अनुश्रवण हेतु प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

# कार्यालय वसुन्धरा जोन गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक/339

दिनांक : 9/11/21

नगर आयुक्त महोदय ✓

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक/1144/न0आ0/2021-22, दिनांक 28.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचारार्थान आर0ए0 सं0-338/2019 व एक्सीक्यूशन सं0-20/2019 कौशाम्बी रेजिडेंट वेलफेयर ए.एसोसिएशन बनाम यू0पी0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अन्य में दिनांक 15.12.2019 को अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मा0 मण्डलायुक्त महोदय को मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 23.08.2021 को प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई की गयी थी तथा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डलायुक्त महोदय को सम्बंधित अधिकारियों के साथ प्रकरण में शेष बची समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें कौशाम्बी क्षेत्र में व्याप्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने एवं अधिक से अधिक अतिक्रमणकर्ता को विरुद्ध चालान काटते हुए जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही कर एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समस्त कौशाम्बी क्षेत्र में विगत वर्षों में अनेकों बार नगर निगम की संयुक्त टीम एवं पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य किया गया है तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक/3079/नौ-7-12-16ज/2012, दिनांक 14.12.2012 के प्रस्ताव संख्या-8 के अनुसार अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त उक्त स्थलों पर पुनः अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो, के सम्बन्ध में सम्बंधित पुलिस थानों को पत्र द्वारा सूचित भी कर दिया गया था। तथा वर्तमान में दिनांक 08.10.2021 को नगर निगम एवं पुलिस बल के साथ सम्पूर्ण कौशाम्बी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया एवं दिनांक 09.11.2021 को पुनः नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया (फोटो संलग्न) तथा दिनांक 01.11.2021 व 08.11.2021 को अतिक्रमण कर्ताओं से जुर्माना भी वसूल किया गया (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही यह भी सादर अवगत कराना है कि बी0एस0एन0एल0 के पास रखे हुए खोखे की शिकायत रहती है, जिसकी मूल पत्रावली सम्पत्ति विभाग में है, क्योंकि खोखा पूर्व में सम्पत्ति विभाग से ही आवंटित किया जाता रहा है।

आख्या दिये गये निर्देशों के क्रम में सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :-

1. अपर नगर आयुक्त/वरिष्ठ प्रभारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जोनल प्रभारी  
वसुन्धरा जोन

जोनल प्रभारी  
वसुन्धरा जोन



मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा दाखिल अनुपालन आख्या पर असंतोष व्यक्त करते हुये काड़ी मारवाणी जाहिर कर दो सप्ताह का समय मुख्यतः कौशाम्बी क्षेत्र में व्याप्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने एवं अधिक से अधिक अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध चालान काटते हुये जुर्माने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया जाता है कि कौशाम्बी क्षेत्र में व्याप्त अवैध अतिक्रमण को हटाते हुये (फोटोग्राफ सहित ) व अधिक से अधिक मात्रा में चालान/जुर्माना वसूलने की कार्यवाही सतत रूप से करते हुये अनुपालन आख्या 07 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टी दिये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

महेन्द्र सिंह तंवर  
(आई०ए०एस०)  
नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम।

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०. 066.....

क्रमांक..... 031

1. रसीद जारी करने की तिथि

01-11-2021

2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता

बिभला, जगदीश चौराहा नं० 137

3. अतिक्रमण स्थल

भोवापुर की शाखा

4. अतिक्रमण का विवरण

दुकान परी पट्ट

5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में)

500/-

(शब्दों में)

पांच सौ रुपये मात्र

Rs 500/-

दिनांक. 01-11-21

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं० 066.....

क्रमांक 032.....

1. रसीद जारी करने की तिथि

01-11-21.....

2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता

श्री, जीव गोवा 92

3. अतिक्रमण स्थल

गोवा 92 कोशी

4. अतिक्रमण का विवरण

सड़क पक्षी पक्ष और कपड़े

5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में)

1000/-

(शब्दों में)

एक हजार रुपये मात्र

Rs 500/-

+ 1000/-

1500/-

दिनांक 01-11-21

रसीद जारी करने वाले फर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०.....**066**.....

क्रमांक.....**033**.....

1. रसीद जारी करने की तिथि .....**01-11-21**.....
2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता .....**श्रीगोविन्द देव**.....
3. अतिक्रमण स्थल .....**को. शा. मंडी**.....
4. अतिक्रमण का विवरण .....**पुस्तकालय पर दुकान**.....
5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में) .....**500/-**.....
- (शब्दों में) .....**पाँच सौ रुपये अके**.....

दिनांक.....**01-11-21**.....

**1500/-**  
**+ 500/-**  
**2000/-**

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०...066.....

क्रमांक.....034

1.रसीद जारी करने की तिथि

01-11-21

2.अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता

राम० जी० शिंदे मो० हा०

3.अतिक्रमण स्थल

मै० शा०

4.अतिक्रमण का विवरण

फुटपाथ पर शौच गृह

5.क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में)

500/-

(शब्दों में)

पांच सौ रुपये मात्र

2000/-  
+ 500/-

दिनांक...01-11-21...

ds

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 को अन्तर्गत शक्तिपूर्ति / पूर्णता दर्रीद)

पुस्तक सं०.....157.....

समांक.....071.....

1. दर्रीद जारी करने की तिथि ..... 25/11/2021.....

2. अतिरिक्त दर्रीद का नाम/ पता ..... कोटापल्ली.....

3. अतिरिक्त दर्रीद स्थल ..... कोटापल्ली मदन डेरी बाजार रोड.....

4. अतिरिक्त दर्रीद का विवरण ..... सड़क पर भीतरी भाग करना.....

5. शक्तिपूर्ति की धनराशि (अंको में) ..... पांच सौ रुपये केवल.....  
(शब्दों में) ..... 500

दिनांक 24/11/2021

  
दर्रीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०.....157.....

क्रमांक.....072.....

1. रसीद जारी करने की तिथि 8/11/2021
2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता मोनू  
कौशाम्बी मदन देवी वाकरोड
3. अतिक्रमण स्थल कौशाम्बी
4. अतिक्रमण का विवरण रोड पर अवैध ढांचा बनाना
5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में) पांच सौ रुपये केवल  
(शब्दों में) 500

दिनांक 8/11/2021

  
रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०.....157.....

क्रमांक.....073.....

1. रसीद जारी करने की तिथि

8/11/2021

2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता

सुबिक  
कोशाश्वती

3. अतिक्रमण स्थल

कोशाश्वती रोड के पास पर कानिमाग पर

4. अतिक्रमण का विवरण

5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में)

पांच सौ रुपये

(शब्दों में)

500

दिनांक 8/11/2021

S.N.

रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम


(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०..... 157.....

क्रमांक.....0-7-4.....

1. रसीद जारी करने की तिथि ..... 01/11/2021 .....
2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता .....  
..... जगदीश कुमार .....
3. अतिक्रमण स्थल .....  
..... कौशिकी मेड रोड .....
4. अतिक्रमण का विवरण .....  
..... अतिक्रमण करना .....
5. क्षतिपूर्ति की फरारिश (अंको में) .....  
..... प्रांच रसौ .....
- (राशियों में) .....  
..... 500 .....

दिनांक 01/11/2021.....

  
रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०.....157.....

क्रमांक.....075.....

1. रसीद जारी करने की तिथि

8/11/2024

2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता

राजकुमार

3. अतिक्रमण स्थल

कोशाम्बी

4. अतिक्रमण का विवरण

मैजरोड पर अतिक्रमण करना


5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में)

पाच सौ रुपये केवल

(शब्दों में)

500/-

दिनांक 8/11/2024

  
रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर

# गाजियाबाद नगर निगम

(नगर निगम अधिनियम की धारा 460 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति / जुर्माना रसीद)

पुस्तक सं०.....157...

क्रमांक.....076

1. रसीद जारी करने की तिथि

01/11/2021

2. अतिक्रमण कर्ता का नाम/ पता

महेन्द्र

3. अतिक्रमण स्थल

कोशाहली

4. अतिक्रमण का विवरण

कोशाहली मेन रोड अतिक्रमण


5. क्षतिपूर्ति की धनराशि (अंको में)

पांच सौ रुपये केवल


(शब्दों में)

500/-

दिनांक 01/11/2021.....




रसीद जारी करने वाले कर्मचारी /  
अधिकारी का नाम, पद व हस्ताक्षर









16, Kaushambi Rd, GDA Market, Jajpuria Enclave, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012, India





Kaushambi, Ghaziabad  
201012  
Uttar Pradesh

India

26°C  
79°F

2021-11-08(Mon) 02:08(pm)








Dr. Hurman Rd., Jaspuna Enclave, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201032, India


Ghaziabad  
Uttar Pradesh  
India

2021-11-09(Tue) 11:39(am)

25°C  
77°F







media मिडिया


NEW DELHI


NEW DELHI

18 19 20

November 2021 | India Expo Mar  
Greater Noida

Trade visitors only | 18+ years | Pre-registered







श्री. ए. डी. ए. ४

**कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद**

फोन नम्बर-120-2820758

निवासफोननम्बर-120-2821120

फैक्स नम्बर-120-2825723

पत्र संख्या: ग-1/2021(रिड)

दिनांक: नवम्बर 27 2021

सेवा में

आयुक्त, मेरठ मंडल,

मेरठ।

**विषय:** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रचलित EA NO 20/2019 IN OA NO 308/2015 KAUSHAMBI APARTMENT RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (KARWA) v/s DIVISIONAL COMMISSIONER MEERUT DIVISION & OrS में पारित आदेश दिनांक: 25.10.2021 के अनुपालन में आख्या भेजने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने अ0शा0पत्रांक: 1040/पीए/2020 दिनांक: 22.11.2021 का अनुपालन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रचलित EA NO 20/2019 IN OA NO 308/2015 KAUSHAMBI APARTMENT RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (KARWA) v/s DIVISIONAL COMMISSIONER, MEERUT DIVISION & OrS में पारित आदेश दिनांक: 25.10.2021 के अनुपालन में आख्या भिजवाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रचलित याचिका में समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस चौकी चौकी कौशाम्बी तथा थाना लिंकरोह क्षेत्र की महाराजपुर पुलिस चौकी के माध्यम से नगर निगम के सहयोग से समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करायी जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद की यातायात पुलिस के माध्यम से वाहनों के प्रति प्रवर्तन की कार्यवाही का सम्पादन कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत सेवा में प्रेषित किया जा रहा है:-

वर्ष 2020 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

वर्ष	2020	नो-पार्किंग	रंग साईड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सीज वाहन
सम्पूर्ण गाजियाबाद क्षेत्र		57436	45850	6100	—	4764
वर्ष 2020 कौशाम्बी क्षेत्र		16742	3897	1465	—	218

वर्ष 2021 (जनवरी, 2021 से 26 नवम्बर, 2021) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

वर्ष	2021	नो-पार्किंग	रंग साईड	ध्वनि/वायु	केन द्वारा	सीज वाहन
------	------	-------------	----------	------------	------------	----------

सम्पूर्ण गाजिपाबाद क्षेत्र			प्रदूषण		
	50427	17068	8317	7072	3526
वर्ष 2021 कौशाम्बी क्षेत्र	18602	4365	1613	3199	832

1 नवम्बर,2021 से 26नवम्बर,2021 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

वर्ष 2021 सम्पूर्ण गाजिपाबाद क्षेत्र	नो-पार्किंग	रिंग साईड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सौजन्य वाहन
	5772	2630	1262	800	351
वर्ष 2021 कौशाम्बी क्षेत्र	1747	485	194	348	102

जनवरी,2021 से 26नवम्बर,2021 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

वर्ष 2021 सम्पूर्ण गाजिपाबाद क्षेत्र	नो-पार्किंग	रिंग साईड	ध्वनि/वायु प्रदूषण	केन द्वारा	सौजन्य वाहन
	50427	17068	8317	7072	3526
वर्ष 2021 कौशाम्बी क्षेत्र	18692	4365	1613	3199	832

प्रकरण में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गाजिपाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से कौशाम्बी से आनन्द बिहार की ओर जाने वाले मार्ग पर हाईट बैरियर तथा आनन्द बिहार से कौशाम्बी की ओर आने वाली वाहनों को रोकने हेतु हाईट बैरियर लगवाकर भारी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

प्रकरण में सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़ा कर यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहनों को केन के माध्यम से सड़क से हटाकर उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करायी जा रही है।

प्रकरण में सड़क की पट्टी पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नगर निगम /जीडीए के माध्यम से कार्यवाही कर उनके विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही करायी जा रही है।

प्रकरण में आख्या अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित।

28.11.21  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
गाजिपाबाद।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, गाजिपाबाद को उपरोक्त संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह  
आई.ए.एस.  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल



आ.शा. पत्र सं. 1042/PA-2021  
कार्यालय : 0121 2661090, 2641455  
निवास : 0121 2641377, 2657539  
फैक्स : 0121 2664431, 2640411  
E-mail : commmee@nic.in  
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दिनांक : 22-11-2021

## आदरजीय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/ 2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में उक्त क्षेत्र में इंगित समस्याओं का समाधान कराया जाना वांछनीय है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित विषयों पर स्थानीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के स्तर से अनेक कार्य कराये जा रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी मा० न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 01-11-2021 को जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त गाज़ियाबाद व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कराये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य एवं दिल्ली राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, तभी प्रश्नगत समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान सम्भव हो सकेगा। इसी क्रम में दिनांक 06-04-2021 को दिल्ली एवं गाज़ियाबाद के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय सर्वेक्षण/निरीक्षण किया गया तथा कौशाम्बी क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यवाही बिन्दु निर्धारित किये गये। संलग्न निरीक्षण आख्या के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही दिल्ली पुलिस की ओर से की जानी आवश्यक एवं अपेक्षित है—

1. कौशाम्बी क्षेत्र से जो वाहन EDM मॉल होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही पास में दिल्ली पुलिस का बूथ है, जिससे वहाँ मार्ग अवरुद्ध होता है और यातायात बाधित होता है। पुलिस बूथ को शिफ्ट करते हुए कौशाम्बी से आने वाले वाहनों हेतु लैफ्ट साइड को फ्री किया जाना आवश्यक है। संयुक्त सर्वेक्षण में निर्णय लिया गया था कि दिल्ली पुलिस बूथ को हटाकर रोड को लैफ्ट साइड से चौड़ा कराया जाए तथा पुलिस बूथ 10 फिट आगे शिफ्ट किया जाए, परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हुआ है तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गहरी नाराज़गी व्यक्त की है।
2. कौशाम्बी से आनन्द विहार की तरफ जब प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश मार्ग पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट एवं प्रीपेड बूथ बना है, जिससे मार्ग संकरा हो गया है तथा दिल्ली में प्रवेश करते समय सीमापुरी की तरफ से आने वाले ट्रैफिक एवं कौशाम्बी से आने वाले ट्रैफिक का आपस में टी-प्वॉइंट बनता है, जिससे यातायात बाधित होता है तथा प्रदूषण भी फैलता है। अगर पुलिस बूथ/प्रीपेड बूथ को हटाकर कौशाम्बी से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिये लैफ्ट फ्री बना दिया जाये तो यातायात

सामान्य हो जायेगा, जाम नहीं लगेगा। संयुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रीपेड बूथ को पेट्रोल पम्प के पास शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस अपनी पोस्ट बायें शिफ्ट करेगी। इस निर्णय के क्रम में भी वांछित कार्यवाही प्रतीक्षित है।

3. आनन्द विहार से महाराजपुर आने वाले मार्ग पर दिल्ली पुलिस द्वारा स्थापित जर्सी बैरियर से मार्ग संकरा हो गया है। आनन्द विहार से महाराजपुर में प्रवेश हेतु यही एकमात्र रास्ता है। अतः उक्त मार्ग का अवरोध हटाया जाना आवश्यक है, जो लैफ्ट लेन है, उस पर रेहड़ी/पटरी/ऑटो/मिनी बसें खड़ी रहती है, जिससे उक्त लेन सदैव बाधित रहती है। इस अतिक्रमण को हटाकर लैफ्ट लेन को फ्री किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण टीम ने निर्णय लिया था कि दिल्ली पुलिस जर्सी बैरियर हटाएगी तथा अतिक्रमण भी हटा दिया जाएगा। यद्यपि इस विषय पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
4. यह भी संज्ञान में आया कि दिल्ली पुलिस के सीमेंट बैरियर कौशाम्बी से आनन्द विहार तथा आनन्द विहार से कौशाम्बी दोनों तरफ रखे हुए हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। सीमेंट बैरियर्स को हटाया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में आपसे विनम्र अनुरोध है कि दिल्ली पुलिस के स्तर से उपरोक्तानुसार अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही कृपया शीघ्र कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जा सके।

स्वभाव सहित,

संलग्नक-यथोक्त।

भवनिष्ठ,

  
(सुरेन्द्र सिंह)

श्री राकेश अस्थाना,  
पुलिस आयुक्त,  
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,  
जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली - 110001

म. ननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरालन में कौशाम्बी क्षेत्र जनपद गाजियाबाद के कमिप्रहैन्सिव टैफिक मैनेजमेन्ट प्लान करने हेतु दिल्ली एवं गाजियाबाद के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 06.04.2021 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री अजीत कुमार सिंगला (Add. CPT) दिल्ली।
2. श्री दीपक यादव ( DCP/East) दिल्ली।
3. श्री महेन्द्र सिंह तवर ( नगर आयुक्त गाजियाबाद )
4. श्री शैलेन्द्र सिंह ADM City गाजियाबाद।
5. श्री रामानन्द कुशाहा (SPT) गाजियाबाद।
6. श्री ए.के.सिंह (RM, UPSRTC) गाजियाबाद।
7. श्री उत्तस्व शर्मा ( क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ) गाजियाबाद।
8. श्री नरेन्द्र कुमार (ARM, UPSRTC) गाजियाबाद।
9. श्री वी.पी.अग्रवाल (ARM, UPSRTC) गाजियाबाद।
10. श्री राघवेन्द्र सिंह (ARTO, GZB) गाजियाबाद।
11. श्री राजकिशोर ( ACP/T East) दिल्ली।
12. श्री वीरेन्द्र पुंज (ACP/East) दिल्ली।
13. श्री श्याम बालियान (Asst. Commissioner) EDMC दिल्ली।
14. श्री राजेन्द्र प्रसाद (CE/EDMC) दिल्ली।
15. श्री अंशुल शर्मा (JE, UPPCB) गाजियाबाद।
16. श्री सतीश कुमार (SE)
17. श्री ओ.पी.ओझा (SE)
18. श्री ए.के.चौधरी (E.O. GDA) गाजियाबाद।
19. श्री अरुण कुमार (SHO, Anand Vihar) दिल्ली।
20. श्री खुशाल सिंह (TI/VKC) दिल्ली।
21. श्री रण सिंह SHO Link Road गाजियाबाद।

## कौशाम्बी क्षेत्र हेतु टैफिक प्लान

डाबर से महाराजपुर तक:-

1. डा0 वर्मन रोड- वेव चौराहां पर प्रॉपर दो यू-टर्न बनाया जायेगा। तथा चौराहे को बन्द किया जाएगा। ( नगर निगम, गाजियाबाद )
2. पेंसिफिक मॉल के सामने लो-हाईट बैरियर के आगे ( करीब 50 मी0 पश्चिम की तरफ) यू-टर्न एवं यू-टर्न से निकलने वाले ट्रेफिक के लिये 100मी पूरव की तरफ पक्की लेन बनाया जायेगा। ( नगर निगम, गाजियाबाद )
3. महाराजपुर टी-प्वाइंट यू-टर्न बन्द किया जायेगा। ( नगर निगम, गाजियाबाद )
4. कौशाम्बी क्षेत्र (दिल्ली बार्डर आनन्द बिहार जाने वाले निकास स्थान) के बायी तरफ खाली स्थान पर आटो पार्किंग एवं रेहडी / पटरी हेतु स्थान विकसित किया जायेगा। तथा कौशाम्बी मेट्रो के आस पास जो आटो खडे रहते हैं वे उपरोक्त निर्धारित पार्किंग में खडे होंगे तथा EDM माल की तरफ होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे। ( नगर निगम, गाजियाबाद )
5. आनन्द विहार से कौशाम्बी बस अड्डे के सामने पेंसिफिक मॉल के पास जो आटो खडे रहते है वे सौर ऊर्जा मार्ग कौशाम्बी बस अड्डा गेट नं0-1 के पास पार्किंग हेतु चिन्हित स्थान पर खडे होंगे। ( नगर निगम, गाजियाबाद )
6. वर्तमान में ऑटो को एरिया (16 km) के आधार पर परमिट दिया जाता है जिसकी संख्या निर्धारित है भविष्य में और परमिट निर्गत न किये जाये, एरिया के आधार पर परमिट जारी न कर इन ऑटो को Roots के आधार पर परमिट दिये जाने पर विचार किया जाये। ई-रिक्शा की संख्या निर्धारित की जाए तथा भविष्य में आने वाले ई-ऑटो की संख्या / Roots भी RTA निर्धारित करें जिससे यातायात सुचारु रूप से चलता रहे।
7. कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन व गाजियाबाद के अन्य मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन व गाजियाबाद के अन्य मेट्रो स्टेशनों पर फुटफाल के सापेक्ष पार्किंग की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। ( DMRC )
8. कौशाम्बी क्षेत्र में व्यवसायिक संस्थानों के होने के कारण अधिक मात्रा में वाहनो का आवागमन होता है। वाहनो की पार्किंग के लिये मल्टीलेवल पार्किंग बनाया जाना आवश्यक है। ( गाजियाबाद विकास प्राधिकरण )
9. कौशाम्बी तथा साहिबाबाद के व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये की अपने वाहन अपने परिसर के अन्दर पार्क किये जायें।

### रोडवेज से सम्बन्धित:-

- (I)- कौशाम्बी बस अड्डा गेट न0-1 ( सौर ऊर्जा मार्ग ) से रोडवेज की बसों की एन्ट्री होगी तथा बस अड्डे के गेट न0-2 ( पेंसिफिक मॉल) से विकास होगा तथा आनन्द बिहार वार्डर के पास स्थित गेट नं0-3 से जो बसें निकलती है, उनके लिये गेट नं0-3 को ANGULAR किया जायेगा जिससे दिल्ली आने वाला ट्रैफिक वाधित न हो। ( UPSRTC के द्वारा )
- (II)- सौर ऊर्जा मार्ग पर डॉ वर्मन रोड पर ( हनुमान मन्दिर ) के पास लो-हाईट बैरियर लगाया जायेगा जिससे विपरीत दिशा में रोडवेज बसें एवं अन्य बड़े वाहन प्रवेश न करें। ( नगर निगम, गाजियाबाद )
- (III)- यूपी गेट की तरफ से जो भी रोडवेज की बसें डावर तिराहे से डॉ वर्मन रोड पर आती है अब ये बसें लिंक रोड से सौर ऊर्जा मार्ग होते हुए कौशाम्बी डिपो के गेट नं0-1 से एन्ट्री करेंगी। ( UPSRTC के द्वारा )
- (IV)- मोहन नगर / इन्दिरापुरम CISC रोड से जो रोडवेज की बसे आती है वो वसुन्धरा अण्डर पास से होकर सौर ऊर्जा मार्ग से होकर जाएगी तथा कौशाम्बी डिपो के गेट नं0-1 से एन्ट्री करेंगी। ( UPSRTC के द्वारा )
- (V)- कौशाम्बी बस स्टेशन को PPP Mode पर इन्टीग्रेटिड बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग बनने से दो पहिया, चार पहिया वाहनो को पार्किंग सुविधा मिल जाएगी, रोड से वाहनो का अतिक्रमण समाप्त हो जाएगा।
- (IV)- महाराजपुर से संचालित CNG सिटी बस के लिये वैकल्पिक पार्किंग बनाने की आवश्यकता है। ( नगर निगम गाजियाबाद )

### दिल्ली से सम्बन्धित:-

1. कौशाम्बी क्षेत्र से जो वाहन EDM मॉल होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते है, प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार पर EDMC का टोल बूथ तथा पास में दिल्ली पुलिस का बूथ भी है जिससे वहां मार्ग अवरुद्ध होता है और यातायात वाधित होता है। EDMC टोल बूथ तथा पुलिस बूथ हो हटाकर कौशाम्बी से आने वाले वाहन लैफ्ट-फ्री किया जाये। संयुक्त सर्वेक्षण में निर्णय लिया गया है कि EDMC टोल बूथ तथा दिल्ली पुलिस बूथ को हटाकर रोड को लैफ्ट साईड चौड़ा कराया जायेगा तथा पुलिस बूथ 10 फिट आगे शिफ्ट किया जायेगा। ( पूर्वी दिल्ली नगर निगम EDMC )
2. कौशाम्बी EDM मॉल रोड पर बीच में डिवाईडर बनाने की आवश्यकता है। जिससे लेन ड्राईविंग हो सके और यातायात सुचारु रूप से चलता रहे। ( नगर निगम गाजियाबाद )
3. कौशाम्बी के अन्दर से EDM मॉल से दिल्ली को जाने वाले रोड को ONE-WAY करने के प्रस्ताव को संयुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा अन उपयुक्त पाया गया क्योंकि कोई वैकल्पित मार्ग उपलब्ध नहीं है।

कौशाम्बी से आन्नद विहार की तरफ जब प्रवेश करते है तो प्रवेश मार्ग पर ही EDMC का टोल एवं दिल्ली पुलिस का पोस्ट एव प्रिपेड बूथ बना है, जिससे मार्ग संकरा हो गया तथा दिल्ली में प्रवेश करते समय सीमापुरी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक एवं कौशाम्बी से आने वाला ट्रैफिक का आपस में टी प्वाइंट बनता है जिससे यातायात बाधित होता है , प्रदूषण फैलता है, अगर EDMC टोल / पुलिस बूथ / प्रिपेड बूथ को हटाकर कौशाम्बी से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिये लैफ्ट फ्री बना दिया जाये तो यातायात सामान्य हो जायेगा, जाम नहीं लगेगा। संयुक्त सर्वेक्षण टीम ने निर्णय लिया गया कि नाला कवर करके सड़क की Slip रोड को फ्री करने से दो अतिरिक्त लेन बन जाएगी कौशाम्बी से आने वाले ट्रैफिक को अतिरिक्त वो लेन मिल जाएगी। प्रिपेड बूथ को पेट्रोल पम्प के पास Shift किया जाएगा। Slip रोड पर दो वृक्ष है, वन विभाग से अनुमति लेकर हटवारे जायेंगे। एवं EDMC अपना टोल बूथ दाहिने से हटाकर बायें साईड शिफ्ट करेगा और दिल्ली पुलिस अपनी पोस्ट भी बायें शिफ्ट करेगी। ( नगर निगम गजियाबाद / EDMC दिल्ली / दिल्ली पुलिस )

5. आन्नद विहार से महाराजपुर आने वाले मार्ग पर दिल्ली पुलिस द्वारा जर्सी बैरियर लगाने से मार्ग संकरा हो गया है। आन्नद विहार से महाराजपुर में प्रवेश हेतु यही एकमात्र रास्ता है, अतः उक्त मार्ग का अवरोध हटायें जाना आवश्यक है। जो लैफ्ट लेन है, उसपर रेहड़ी / पटरी /आटो /मिनी बसे खड़ी रहती है जिससे उक्त लेन सदैव वाधित रहता है। इस अतिक्रमण को हटाकर लैफ्ट लेन फ्री किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण टीम ने निर्णय लिया कि दिल्ली पुलिस जर्सी बैरियर हटाएँगी एवं (EDMC)- दिल्ली की तरफ तथा (नगर निगम गजियाबाद)- जनपद गजियाबाद की तरफ का अतिक्रमण हटाएँगे तथा Left Side को और चौड़ा कराया जायेगा। Height बैरियर के लैफ्ट पिलर को कौशाम्बी डिपो के Sidewall की तरफ बढ़ाया जाएगा (EDMC)। इस एन्टी प्वाइंट के तिकोने पार्क के कार्नर को समायोजित करने की आवश्यकता है जिससे ट्रैफिक को नोर्मल किया जाये। ( नगर निगम गजियाबाद )

6. संयुक्त सर्वेक्षण टीम ने निर्णय लिया कि सड़क सं0-56 पर Flyover से FOB के बाँयी तरफ खाली जगह है जिससे सड़क को चौड़ाकर DTC वस स्टाप को पीछे कर कौशाम्बी बस डिपो के दीवार के सहारे किया जाएगा। (DTC) वैसे यह क्षेत्र ग्रीन बेल्ट है। इसमें दो HT Pillar बाँये शिफ्ट करने की आवश्यकता है (विधुत विभाग दिल्ली ) इसी रोड पर लैफ्ट साईड में EDMC दिल्ली का यूरिनल है। जिससे रोड संकरा हो गया है। इसको पीछे ले जाने की आवश्यकता है। इसको हटाने से रोड चौड़ा हो जाएगा। चौडीकरण से बसों से उतरने चढ़ने की प्रक्रिया मुख्य सड़क से अलग हो जाएगी और यातायात सुगम हो जाएगा। ( EDMC दिल्ली )

7. संयुक्त सर्वेक्षण टीम ने निर्णय लिया कि FOB का एस्केलेटर फुटपाथ पर आ रहा है। FOB के पिलर तथा एस्केलेटर लैफ्ट साईड शिफ्ट किया जायेगा जिससे सड़क की चौड़ा हो जाएगा। चूकि इस FOB पर जनता का आवा गमन अधिक है, इसके समानान्तर एक FOB बनाने की आवश्यकता है जिससे

जनता का आव गमन आसान हो जाएगी। FOB के साथ एक सुलभ शौचालय है इसको भी पीछे स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है, जिससे रोड चौड़ा हो जाएगा तथा लैपट फ्री हो जाएगा तथा यातायात सुगम हो जाएगा। (EDMC दिल्ली)

8. संयुक्त सर्वेक्षण टीम ने निर्णय लिया की (EDMC) बस पार्किंग जो पेट्रोल पम्प के साथ ही रोड नं0 56 पर है इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इससे ट्रैफिक बाधित है। (EDMC दिल्ली)

9. आनन्द विहार डीपो के अन्दर बसों की एन्ट्री/एक्जिट डिजिटलाईज्ड करने की आवश्यकता है। बसों के अन्दर तहरने का समय निश्चित किया जाये जिससे अति तहराव की स्थिति न हो और बसों को बस अड्डे के अन्दर जाने के लिए रोड नं0 56 पर इन्तजार न करना पड़े। (आनन्द विहार डिपो, दिल्ली)

नोट:- 1. अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही जिला प्रशासन गाजियाबाद, नगर निगम गाजियाबाद तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

2. ट्रैफिक के इन्फोर्समेन्ट कार्य ट्रैफिक पुलिस, थाना लिंकरोड, थाना कौशाम्बी गाजियाबाद तथा दिल्ली की तरफ से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एवं दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा।

**आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16-12-2021 को उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्य के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण एवं बैठक का कार्यवृत्त**

आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में उक्त क्षेत्र में इंगित समस्याओं का समाधान कराया जाना वांछनीय है। इसी क्रम में दिनांक 16-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद गाज़ियाबाद एवं दिल्ली राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।



स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गाज़ियाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहे—

Sr. no.	Name of officer	Designation	Mobile/ Contact no
1.	Sh. Rakesh Kumar Singh	District Magistrate, Ghaziabad	8527240100
2.	Sh. Pawan Kumar	Senior Superintendent of Police, Ghaziabad	9643322900
3.	Dr. G. Ram Gopal Naik	DCP Traffic, Eastern Range, Delhi Police	9818099082
4.	Smt. Priyanka Kashyap	DCP, Delhi Police	9818099042
5.	Smt. Nidhi Malik	Deputy Commissioner, East Delhi Municipal Corporation	---
6.	Sh. Mahendra Singh Tanwar	Municipal Commissioner, Ghaziabad	7080600111
7.	Dr. Nirav Patel	ACP, Madhu Vihar, Delhi	7065036305
8.	Sh. Vivek Srivastava	ADM (Fin. & Rev.), Ghaziabad	6307851231
9.	Sh. Ramanand Kushwaha	SP (Traffic), Ghaziabad	9643322897
10.	Sh. Utsav Sharma	Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ghaziabad	9990603358

11.	<b>Sh. A.K .Singh</b>	Regional Manager, UP State Regional Transport Corporation, Ghaziabad	8929991221
12.	<b>Sh. Surinder Singh</b>	SE, EDMC, New Delhi	9717788518
13.	<b>Sh. Shyam Balyan</b>	AE, EDMC, New Delhi	9971366889
14.	<b>Sh. Khushal Singh</b>	TI, Vivek Vihar, Delhi	8750871444
15.	<b>Dr. Santosh Tomar</b>	Dy. Health Officer, Shahdara, Delhi Govt.	9818579090
16.	<b>Sh. Surender Kumar</b>	SHO, Patparganj Industrial Area	8750870626

सर्वप्रथम उपस्थित अधिकारियों का ध्यान मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली द्वारा E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में दिनांक 25-10-2021 को पारित आदेश की ओर आकृष्ट किया गया, जिसमें मा० अधिकरण द्वारा प्रश्नगत समस्याओं का उपयुक्त समाधान किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।



प्रश्नगत क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य एवं दिल्ली राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, तभी प्रश्नगत समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान सम्भव हो सकेगा। अतएवं आज निरीक्षण के दौरान दिल्ली राज्य के उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे, जिनके साथ मौके पर यातायात में अवरोध उत्पन्न करने वाले structures का निरीक्षण कर समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। निरीक्षणोपरान्त आयोजित बैठक में चर्चा के उपरान्त मुख्य रूप से निम्नानुसार कार्यवाही संयुक्त रूप से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी—

1. **ई.डी.एम.सी. टोल बूथ को शिफ्ट किया जाना:** संयुक्त सर्वेक्षण में यह निर्णय लिया गया कि दाईं ओर स्थित पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) टोल बूथ को वर्तमान स्थान से शिफ्ट करते हुए बाईं ओर स्थानान्तरित किया जायेगा। वर्तमान में गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा बाईं ओर सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त टोल बूथ को बाईं ओर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, जिससे आवागमन सुचारू हो सकेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि टोल बूथ से सम्बन्धित signages नये स्थल पर तथा 100-200 मीटर पूर्व भी स्थापित किये जायें, ताकि सम्बन्धित commercial vehicle owners/drivers को नये टोल बूथ की जानकारी हो सके।

(कार्यवाही-पूर्वी दिल्ली नगर निगम)

2. दिल्ली पुलिस बूथ को शिफ्ट किया जाना: पूर्व निरीक्षणों में लिये गये निर्णय के अनुसार दिल्ली पुलिस का बूथ हटा दिया गया है, जिसके लिये दिल्ली पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। स्थल पर जो कूड़ा/मलबा पड़ा है, उसको नगर निगम, गाज़ियाबाद द्वारा साफ कराया जाये। भविष्य में ई.डी.एम.सी. बूथ एवं दिल्ली पुलिस के बूथ के लिये यथोचित स्थान भी नगर निगम गाज़ियाबाद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त, गाज़ियाबाद)

3. यातायात में बाधक पेड़ को हटाया जाना: कौशाम्बी से दिल्ली की ओर जाते समय टी-प्वाइंट के पास बाईं ओर खड़ा बरगद का पेड़, जो यातायात में बाधक है, को हटाया जाना आवश्यक है। पेड़ के स्वामित्व के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, अतएवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त पेड़ को वन विभाग की अनुमति के उपरान्त हटाये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित नगर निगम द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही-नगर निगम, गाज़ियाबाद/पूर्वी दिल्ली नगर निगम)

4. लोहे के पोल/बैरियर पिलर्स हटाया जाना: दिल्ली की ओर जाते समय बाईं ओर खड़े लोहे का पुराना पिलर, जो वर्तमान में किसी प्रयोग में नहीं हैं और यातायात में बाधक है, को हटवाने की भी कार्यवाही नगर निगम, गाज़ियाबाद द्वारा अगले 1-2 दिन के अन्दर की जायेगी।

इसी प्रकार दाईं ओर बने बैरियर को हटाने से पूर्व उसके स्वामित्व की जानकारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम/जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद स्तर से की जायेगी। इसके उपरान्त बैरियर को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देश दिये गये कि मौके पर बने फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाये, ताकि पैदल यात्रियों द्वारा इनका उपयोग किया जा सके और वह सड़क पर न चलें।

(कार्यवाही-पूर्वी दिल्ली नगर निगम/नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी गाज़ियाबाद)

5. अतिक्रमण मुक्त लेन पर सड़क का निर्माण: यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार बूथ, बैरियर, पेड़ व अन्य अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त रिक्त हुई लेन्स पर सड़क का निर्माण नगर निगम गाज़ियाबाद/सी.पी. डब्ल्यू.डी., दिल्ली द्वारा शीघ्र कराया जाये।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त, गाज़ियाबाद/सी.पी.डब्ल्यू.डी., दिल्ली)

6. ठेला/रेहड़ी को व्यवस्थित किया जाना: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), गाज़ियाबाद से अपेक्षा की गयी कि स्थल पर अतिक्रमण हटने के बाद वहां खड़े होने वाले ठेलों को भी सड़क से अन्यत्र वेण्डिंग ज़ोन बनाकर वहां से शिफ्ट कराने का प्रयास किया जाये।

(कार्यवाही-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (यातायात), गाज़ियाबाद)



7. **पैदल पुल / Foot over bridge (FOB) सम्बन्धी सुधार:** निरीक्षण के दौरान FOB का escalator खराब पाया गया, जो पिछले 05 माह से बंद होना बताया गया। ईडीएमसी अधिकारियों से वर्तमान में बने FOB का escalator ठीक कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही-पूर्वी दिल्ली नगर निगम)

8. **FOB पर लिफ्ट लगाया जाना:** निरीक्षण से पाया गया कि Foot over Bridge को Re-engineering की आवश्यकता है। साथ ही सीढ़ियों के साथ-साथ लिफ्ट स्थापित कराया जाना श्रेयस्कर होगा। इसके लिये पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही-पूर्वी दिल्ली नगर निगम)

9. **नये FOB का निर्माण:** यह पाया गया कि सड़क के दोनों ओर प्रायः काफी संख्या में पैदल यात्रियों का आवागमन रहता है। पर्व/त्यौहारों के समय हज़ारों की भीड़ यहां से गुज़रती है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, अतएवं यह उपयुक्त पाया गया कि मौके पर एक अतिरिक्त FOB का निर्माण कराया जाये। निर्णय लिया गया कि मौके पर नये एफओबी के निर्माण हेतु ईडीएमसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये। निरीक्षण में उपस्थित डी.सी.पी. (ट्रैफिक), दिल्ली द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या में इसकी आवश्यकता का उल्लेख किया जाये।

(कार्यवाही-पूर्वी दिल्ली नगर निगम/डी.सी.पी. (ट्रैफिक), दिल्ली)

10. **अपंजीकृत/अवैध बसों के संचालन को रोका जाना:** सहायक आयुक्त, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली-यूपी के मध्य अवैध बसों के संचालन की समस्या बतायी गयी। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गाज़ियाबाद एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाज़ियाबाद तथा दिल्ली पुलिस स्तर से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय प्रबन्धक/सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाज़ियाबाद/दिल्ली पुलिस)

11. **बस अड्डे के बाहर बसों को व्यवस्थित करना:** क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गाज़ियाबाद यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कौशाम्बी बस अड्डे के बाहर बसें अव्यवस्थित रूप से न खड़ी हों। ऐसा करने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज)

12. **नोडल अधिकारी नामित किया जाना:** ई०डी०एम०सी० एवं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त संयुक्त सर्वेक्षण/बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समयबद्ध रूप से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये, जिसके साथ जनपद गाज़ियाबाद के नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समन्वय एवं स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को गति प्रदान की जायेगी।

(कार्यवाही-पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली पुलिस)



13. राज्यों के मध्य ट्रेफिक डायवर्जन आदि सूचनायें साझा किया जाना: पुलिस अधीक्षक (यातायात), गाज़ियाबाद द्वारा अनुरोध किया गया कि दिल्ली पुलिस/यातायात विभाग द्वारा ट्रेफिक डायवर्जन की सूचना गाज़ियाबाद यातायात विभाग के साथ ससमय साझा की जाये, ताकि ट्रेफिक संचालन में असुविधा न हो। दोनों ओर से आवश्यक सूचनायें साझा किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही-दिल्ली पुलिस/गाज़ियाबाद पुलिस-प्रशासन)

14. अन्तरराज्यीय समन्वय: उपस्थित अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी कि दोनों राज्यों के स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा आपस में नियमित बैठक कर समन्वय करते हुए प्रश्नगत समस्याओं के समाधान हेतु सतत कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-सभी विभाग/अधिकारीगण)

उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करते हुए 07 दिन में अनुपालन की स्थिति/प्रगति से अवगत कराया जाये।

  
(सुरेन्द्र सिंह)  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

### कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या: 1078/पी०ए०-2021

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110092
3. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाज़ियाबाद।
5. श्रीमती प्रियंका कश्यप, पुलिस उपायुक्त, पूर्वी दिल्ली पुलिस, 6बी, गाज़ीपुर रोड, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
6. श्रीमती निधि मलिक, उप आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110092
7. नगर आयुक्त, नगर निगम गाज़ियाबाद।
8. अपर आयुक्त-द्वितीय, मेरठ मण्डल, मेरठ को अग्रेत्तर अनुश्रवण हेतु।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाज़ियाबाद।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गाज़ियाबाद।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद।

  
(सुरेन्द्र सिंह)  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सुरेन्द्र सिंह  
आई.ए.एस.  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल



Annexure - 10  
आ.शा. पत्र सं. 1125/PA-22  
कार्यालय : 0121 2661090, 2641158  
निवास : 0121 2641377, 2657539  
फैक्स : 0121 2664431, 2640411  
E-mail : commmee@nic.in  
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दिनांक : 08-01-2022

## आश्चर्यम भेदय,

कृपया आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 में मा० न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में दिनांक 16-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद गाज़ियाबाद एवं दिल्ली राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ किये गये निरीक्षण एवं तदोपरान्त आयोजित बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त निरीक्षण/बैठक की टिप्पणी संलग्न पत्रांक-1078/पी०ए०-2021 दिनांक 17-12-2021 द्वारा आपको भी प्रेषित की गयी है।


पुनः अनुरोध करना है कि प्रश्नगत क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य एवं दिल्ली राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मा० न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आगामी नियत तिथि 23-02-2022 से पूर्व अनुपालन आख्या दायर की जानी वांछनीय है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न टिप्पणी में वर्णित दिल्ली पुलिस के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही कृपया शीघ्र कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

सदभाव सहित,

भवनिष्ठ,

  
(सुरेन्द्र सिंह)

श्री राकेश अस्थाना  
पुलिस आयुक्त,  
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,  
जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली-110095

सुरेन्द्र सिंह  
आई.ए.एस.  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल



आ.शा. पत्र सं. 1123/PA-21 401  
कार्यालय : 0121 2661090, 2641155  
निवास : 0121 2641377, 2657539  
फैक्स : 0121 2664431, 2640411  
E-mail : commmee@nic.in  
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दिनांक : 08.01.2022

प्रिय भोदय,

कृपया आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/2015 में मा० न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में दिनांक 16-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद गाजियाबाद एवं दिल्ली राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ किये गये निरीक्षण एवं तदोपरान्त आयोजित बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त निरीक्षण/बैठक की टिप्पणी संलग्न पत्रांक-1078/पी०ए०-2021 दिनांक 17-12-2021 द्वारा आपको भी प्रेषित की गयी है।

पुनः अनुरोध करना है कि प्रश्नगत क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य एवं दिल्ली राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मा० न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आगामी नियत तिथि 23-02-2022 से पूर्व अनुपालन आख्या दायर की जानी वांछनीय है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न टिप्पणी में वर्णित पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही कृपया शीघ्र कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

सदभाव सहित,

भवनिष्ठ,

  
(सुरेन्द्र सिंह)

श्री विकास आनन्द  
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम,  
419, उद्योग सदन, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र,  
नई दिल्ली - 110092

सुरेन्द्र सिंह  
आई.ए.एस.  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल



आ.शा. पत्र सं. 1124/PA-22  
कार्यालय : 0121 2661090, 2644485  
निवास : 0121 2641377, 2657539  
फैक्स : 0121 2664431, 2640411  
E-mail : commmee@nic.in  
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

दिनांक : 08-01-2022

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आनन्द विहार एवं कौशाम्बी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग इत्यादि समस्याओं को लेकर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित E.A. No. 20/2019 in O.A. No. 308/ 2015 Kaushambi Apartments Residents Welfare Association (KARWA) Vs. Divisional Commissioner Meerut Division & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में उक्त क्षेत्र में इंगित समस्याओं का समाधान कराया जाना वांछनीय है। इसी क्रम में दिनांक 16-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद गाज़ियाबाद एवं दिल्ली राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण एवं तदोपरान्त बैठक आयोजित की गयी। उक्त निरीक्षण/बैठक की टिप्पणी पत्रांक-1078/पी०ए०-2021 दिनांक 17-12-2021 द्वारा निर्गत की गयी है, जिसकी प्रति सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य एवं दिल्ली राज्य की सीमा पर स्थित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं दिल्ली सरकार की ओर से संयुक्त कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में मा० न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आगामी नियत तिथि 23-02-2022 से पूर्व अनुपालन आख्या दायर की जानी वांछनीय है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न टिप्पणी में वर्णित लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही कृपया शीघ्र कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवनिष्ठ,  
  
(सुरेन्द्र सिंह)

श्री मनोज कुमार महोबिया,  
मुख्य अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार,  
12वां तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग,  
आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली-110002